[ 2022 ] 11 एस. सी. आर. 291

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

वी.

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

( 2021 की सिविल अपील No.5766)

17 जनवरी, 2022

[ हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

कंपनी कानून-किसी कंपनी का समापन-धोखाधड़ी

बंद करने का आधार-कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के बीच अंतर करने वाली विशेषताएँ, किसी कंपनी को बंद करने के आधार के रूप में धोखाधड़ी की उपलब्धता के सवाल के संबंध में।

-

चर्चा की गई-आयोजितः कंपनी अधिनियम, 2013 का कंपनी अधिनियम, 1956 की वैधानिक व्यवस्था से मुख्य विचलन धोखाधड़ी का विशिष्ट समावेश है, सीधे उन परिस्थितियों में से एक के रूप में जिसमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है - 2013 के अधिनियम का s.271 सूचीबद्ध करता है

जिन परिस्थितियों में एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है-धोखाधड़ी अब सीधे (2013 शासन के तहत) बन गई है, जिनमें से एक

ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है, हालांकि यह

यह अप्रत्यक्ष रूप से भी एक आधार बना हुआ है, धारा 223 के तहत धारा 224 (2) आर/डब्ल्यू [जैसा कि यह 1956 अधिनियम की धारा 439 (1) (एफ) आर/डब्ल्यू धारा 243 और 237 (बी) के तहत था]-कंपनी अधिनियम, 2013 - s.271-कंपनी अधिनियम,

1956 .

कंपनी कानून-किसी कंपनी का समापन-धोखाधड़ी

समापन के लिए आधार-याचिका यू / कंपनी अधिनियम, 2013 का s.271 (सी)-कंपनी याचिका का विज्ञापन-उल्लंघन-तथ्यों पर, बंद करने की याचिका का कभी विज्ञापन नहीं किया गया था और न ही विज्ञापन देने का आदेश दिया गया था, या तो याचिका स्वीकार करने पर या उसके बाद कभी भी-अपीलकर्ताओं का तर्क कि इसने पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया-अभिनिर्धारित किया गयाः एस की उप-धारा (1) और (2)। 468 2013 अधिनियम केंद्र सरकार को इन प्रावधानों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है -

कंपनियों के समापन से संबंधित सभी मामले-इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समापन) नियम, 2020 जारी किए गए थे-क्योंकि समापन के लिए एक याचिका का विज्ञापन करने की आवश्यकता आरआर में निर्धारित की गई है। 5 और कंपनी (समापन) नियम, 2020 के 7, आर में क्या निर्धारित किया गया है। 35 एन. सी. एल. टी. नियम 2016 में शामिल होंगे

यहाँ तक कि आर के उप-नियम (5) को समाप्त करने के लिए याचिकाएँ भी। 35 यह स्पष्ट करता है कि उन मामलों में भी जहां न्यायाधिकरण का निर्देश संबंधित है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैधानिक व्यवस्था, अर्थात् किसी को भी समाप्त करने की शक्ति विज्ञापन, अब विशेष रूप से 2013 की वैधानिक व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराया गया है-इस मामले में परिसमापन में कंपनी के पास कोई लेनदार या ग्राहक नहीं थे जिनका कंपनी के साथ लेन-देन था-याचिका के विज्ञापन के प्रकाशन का आदेश देने में एन. सी. एल. टी. की विफलता से कोई हितधारक पूर्वाग्रहित नहीं थे। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें कंपनी को ऋण का भुगतान करने में असमर्थता या न्यायपूर्ण और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने की मांग की गई थी। यह धोखाधड़ी का मामला था और सभी हितधारक समापन की कार्यवाही से पूरी तरह से अवगत थे-इसलिए, न्यायाधिकरण की विफलता

विज्ञापन के आदेश प्रकाशन ने पूरी कार्यवाही को गैरकानूनी नहीं बनाया-कंपनी अधिनियम, 2013 - s.271 (c) और 468 -

कंपनी अधिनियम, 1956-कंपनी (समापन) नियम, 2020-आर. आर. 5 और 7-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 - आर. 35।

कंपनी कानून-एक कंपनी का समापन-याचिका यू /

एस. 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013-चुनौती दी गई, सीमा द्वारा वर्जित होने के लिए-आयोजितः सीमा हमेशा एक रोशनी के समान नहीं होती है।

गन पाउडर की एक ट्रेन के लिए माचिस की छड़ी-अवधि के शुरू होने की तारीख अनिवार्य रूप से स्थिर नहीं होनी चाहिए शुरुआत उस पक्ष की ओर से चूक और कमीशन के कार्यों के आधार पर बदलती रह सकती है जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है-यदि कंपनी के मामलों का संचालन

धोखाधड़ी का तरीका एक निरंतर प्रक्रिया है, आवेदन करने का अधिकार बार-बार आता है-हाथ में मामले में, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का पता बाद में ही चला था और जब तक खोज की गई थी, तब तक धोखाधड़ी का फल प्राप्त करने के प्रयास चरम पर पहुंच गए थे।

ये प्रयास आज तक जारी हैं और यह पूरी तरह से एस के भीतर आता है। 271 ( ग)-इसलिए, यह तर्क कि याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, न्यायाधिकरण-कंपनी अधिनियम द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

2013 .

कंपनी कानून-किसी कंपनी का परिसमापन-परिसमापन के लिए एक आधार के रूप में धोखाधड़ी-एस के तहत याचिका। 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को याचिका दायर करने से रोकने के लिए चुनौती।

वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

धोखाधड़ी और समापन की मांग-आयोजितः वर्तमान मामले में, बंद करने की याचिका में जो आरोप लगाया गया था, वह था (i) धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन; (ii) धोखाधड़ी।

कंपनी के मामलों का संचालन; और (iii) उन व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी जो गठन और/या धोखाधड़ी में शामिल थे।

कंपनी के मामलों का प्रबंधन-विचाराधीन समझौते से संबंधित धोखाधड़ी, चीजों की पूरी योजना का केवल एक पहलू था। 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा एक ऐसी धोखाधड़ी है जो अनुबंध के दायरे या कंपनी अधिनियम, 2013 के दंडात्मक प्रावधानों के दायरे से परे है-इसलिए धोखाधड़ी का अनुरोध करने से रोकने के तर्क को न्यायाधिकरण-कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था - s.271 (c)।

कंपनी कानून एक कंपनी का समापन-एक के रूप में धोखाधड़ी

समापन के लिए आधार-एस के तहत याचिका। 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013 का-न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त करने का आदेश पारित-चुनौती प्रतिपरीक्षा के लिए अनुमति से इनकार के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर-न्यायाधिकरण ने प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने के लिए अपनी चूक की कार्रवाई को यह मानते हुए उचित ठहराया कि मामले में किसी मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी-तथ्यों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने कहा था जिरह के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार-एक पक्ष जो किसी चीज़ के अस्तित्व में न होने का आरोप लगाता है, उसे यह साबित करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है कि

गैर-अस्तित्व-यह वह पक्ष है जो अस्तित्व का दावा करता है या जो गैर-अस्तित्व के दावे को चुनौती देता है, जो उसके अस्तित्व को साबित करने के लिए उत्तरदायी है-हाथ पर मामले में, एंट्रिक्स ने जोर देकर कहा कि देवास ने ऐसी सेवाओं की पेशकश की जो गैर-अस्तित्व में थीं, एक उपकरण के माध्यम से जो उपलब्ध नहीं था और यह कि उपकरण पर तथाकथित बौद्धिक संपदा अधिकार भी उपलब्ध नहीं थे-इसलिए, एंट्रिक्स उन चीजों के गैर-अस्तित्व या गैर-उपलब्धता को दिखाने के लिए सबूत का नेतृत्व नहीं कर सकता है, या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या अपने अधिकारियों को देवास द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत करके-देवास ने कभी भी न्यायाधिकरण के सामने कोई उपकरण पेश नहीं किया और न ही उन्होंने देवास सेवाओं की उपलब्धता का प्रदर्शन किया-बस इतना ही देव चाहते थे, एंट्रिक्स के अधिकारियों की प्रतिपरीक्षा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैधानिक प्रावधानों की वैधता-इसलिए, न्यायाधिकरण था प्रतिपरीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार।

कंपनी कानून-किसी कंपनी का समापन-धोखाधड़ी

समापन के लिए आधार-एस के तहत याचिका। 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013-शेयरधारकों का लोकस स्टैंड-आयोजितः अधिनियम या नियमों में किसी भी शेयरधारक को समापन याचिका के प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है

द.

आपत्ति करने वाले शेयरधारकों ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक प्रभावी सुनवाई की -

हालाँकि उनकी अपील को एन. सी. एल. ए. टी. ने इस आधार पर खारिज कर दिया था

बस कंपनी के समान थे, माना गया था इसलिए, आपत्ति है कि अवसर नहीं दिया गया था

शेयरधारक, केवल सैद्धांतिक हैं, जब वास्तव में उनकी बात सुनी गई थी-कंपनी (समापन) नियम, 2020 - आर. 3 (1)-कंपनी अधिनियम,

2013 .

कंपनी कानून-किसी कंपनी का समापन-धोखाधड़ी

समापन के लिए आधार-एस के तहत याचिका। 271 ( ग) कंपनी अधिनियम, 2013-न्यायाधिकरण द्वारा पारित समापन का आदेश-को चुनौती

गलत और विकृत निष्कर्षों और गलत के आधार पर

प्रमाण का मानक-आयोजितः तथ्यों पर, दोनों न्यायाधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है-ये निष्कर्ष वास्तव में दस्तावेजों द्वारा दिए गए थे, जिनमें से किसी को भी इस रूप में चुनौती नहीं दी गई थी मनगढ़ंत या अस्वीकार्य-अपीलकर्ता एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुचित अभिव्यक्ति के उपयोग का लाभ नहीं उठा सकते हैं-न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत निष्कर्ष बताते हैं कि वे अंतिम थे और प्रथम दृष्टया नहीं।

केवल इसलिए कि एन. सी. एल. ए. टी. ने एक गलत अभिव्यक्ति का उपयोग किया

निष्कर्ष प्रथम दृष्टया नहीं बन सकते हैं।

कंपनी कानून-एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील की पुष्टि

उच्चतम न्यायालय के समक्ष एन. सी. एल. ए. टी.-साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन-यदि अनुमत होः जब एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. नामक दो मंचों ने तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं, तो यह उपलब्ध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय साक्ष्य की फिर से सराहना करेगा।

कंपनी कानून-किसी कंपनी का समापन-धोखाधड़ी

समापन के लिए आधार-याचिका यू / कंपनी अधिनियम, 2013 का s.271 (सी)-यह तर्क कि याचिका यू / s.271 (c) से पहले कम से कम गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी, जिसने अब यू/के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है।

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का s.211। वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

कंपनी अधिनियम, 2013-आयोजितः यह तर्क इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य है कि 2013 के अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के आरोपों पर एक कंपनी को बंद करने के लिए दो अलग-अलग मार्ग हैं-एक क्या यू/है s.271 (c) और दूसरा s में न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत है। 271 ( ई), एस के साथ पढ़ें। 224 ( 2 ) और एस। 213 ( ख)-यह केवल दूसरी श्रेणी के मामलों में है कि जांच की रिपोर्ट पहले होनी चाहिए।

बंद करने के लिए एक याचिका-कंपनी अधिनियम, 2013-कंपनी अधिनियम, 1956।

कंपनी कानून-किसी कंपनी को बंद करना-बंद करने के लिए एक आधार के रूप में धोखाधड़ी-उद्देश्य की प्रासंगिकता-आयोजितः यदि वास्तव में, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, धोखाधड़ी स्थापित हो जाती है, तो इसके पीछे का मकसद

धोखाधड़ी का शिकार होने वाले व्यक्ति द्वारा बंद करने के लिए याचिका दायर करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है-धोखाधड़ी का एक उत्पाद भारत सहित किसी भी देश की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है-नैतिकता और न्याय की बुनियादी धारणाएं हमेशा धोखाधड़ी के साथ टकराव में रहती हैं और इसलिए धोखाधड़ी का शिकार होने वाले व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई के पीछे का मकसद कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो सकता है।

बाधा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. कंपनी अधिनियम, 1956 ने समापन की दो श्रेणियों के बारे में बात की, अर्थात् (i) न्यायाधिकरण द्वारा समापन; और (ii) स्वैच्छिक समापन। जिन परिस्थितियों में ए

कंपनी को न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता था, जिसे 1956 के अधिनियम की धारा 433 में सूचीबद्ध किया गया था। इस खंड में नौ की सूची थी।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें किसी कंपनी को बंद किया जा सकता है। धोखाधड़ी (i)

या तो कंपनी के गठन में या (ii) कंपनी के मामलों के संचालन में या (iii) इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्तियों की ओर से, 1956 के अधिनियम की धारा 433 में निर्धारित परिधि में से एक नहीं था। हालाँकि 1956 के अधिनियम की धारा 433 में धोखाधड़ी को उन परिस्थितियों में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया था जिसमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है, फिर भी धोखाधड़ी का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ था। 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) में सात व्यक्तियों की एक सूची प्रदान की गई थी जो एक याचिका दायर करने के हकदार थे।

कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन। धारा 439 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत, समापन के लिए एक आवेदन केंद्र द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 243 के तहत आने वाले मामले में उनकी ओर से सरकार। [ पैरा 6.1,2.2] [310-डी-एफ] [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) (च), 243 और 237 (ख) के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि,

1956 एक्ट करें। लेकिन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना था। वे इस प्रकार हैं: ( i) ऊपर उल्लिखित एक या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी का अपराध जांच की रिपोर्ट में परिलक्षित होता है; (ii) इन प्रावधानों के तहत याचिका केवल एक व्यक्ति द्वारा दायर की जानी है। केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत; और (iii) याचिका को इस आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कंपनी को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है। लेकिन धारा 243 (ए) का अधिदेश

एक कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देना। लेकिन 1956 के अधिनियम की धारा 237 के तहत, जांच का आदेश देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, जबकि यह 2013 के अधिनियम की धारा213 के तहत न्यायाधिकरण के पास है। 2013 के अधिनियम की धारा 224 (2) 1956 के अधिनियम की धारा 243 के समान है क्योंकि यह केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाता है। किसी भी जांच की रिपोर्ट के आधार पर समापन। यहाँ फिर से, इस तरह की जांच की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त करने की याचिका, न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर होनी चाहिए।

धारा 224 की उप-धारा (2) के खंड (ए) का, जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के समान है।

वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

धारा 243 का खंड (क)। 1956 के अधिनियम की वैधानिक व्यवस्था से 2013 के अधिनियम का मुख्य विचलन, धोखाधड़ी का विशिष्ट समावेश है, जो सीधे उन परिस्थितियों में से एक है जिसमें एक कंपनी है। घायल हो सकता है। 2013 के अधिनियम की धारा 271 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (ए), (जी), (एच) और (आई) अब 2013 के अधिनियम की धारा 271 के खंड (ए), (बी), (डी) और (ई) बन गए हैं, हालांकि एक ही क्रम में नहीं। इसके अलावा, (i) धोखाधड़ी के तरीके से कंपनी के मामलों का संचालन; (ii) धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन; और (iii) इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों को धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार का दोषी ठहराया गया है।

धारा 223 के साथ पठित धारा 224 (2) के तहत भी अप्रत्यक्ष रूप से एक आधार बना हुआ है [जैसा कि यह 1956 के अधिनियम की धारा 243 और 237 (बी) के साथ पठित धारा 439 (1) (एफ) के तहत था]। [ पैरा 6.14,6.15] [315-ई-एच; 316-ए-सी] 4. जिस तरह 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) ने उन व्यक्तियों की सूची प्रदान की है जिनके द्वारा समापन के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है,

2013 अधिनियम की धारा 272 (1) उन व्यक्तियों की सूची भी प्रदान करती है जिनके द्वारा समापन के लिए याचिका दायर की जा सकती है। 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 272 (1) दोनों में जो समानता है, वह यह है कि समाप्त करने के लिए याचिका निम्न द्वारा दायर की जा सकती हैः ( (i) कंपनी; (ii) कोई अंशदाता; (iii) पंजीयक; और (iv) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति। दोनों 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 272 (1) व्यक्तियों के संबंध में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है।

समापन और प्रक्रिया के लिए याचिका दायर करने के लिए सक्षम

पालन किया जाए। वे हैं, (i) प्राधिकरण; और (ii) मंजूरी। जिन परिस्थितियों में 'प्राधिकरण' दिया जाना है और जिन परिस्थितियों में मंजूरी दी जानी है, वे अलग-अलग हैं। इसी तरह, मंजूरी देने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण के मुद्दे के लिए कंपनी को कोई पूर्व अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिनिधित्व। यह स्पष्ट है कि उप-धारा [2022] 11 एस. सी. आर. का दूसरा परंतुक।

( 5 ) 1956 के अधिनियम की धारा 439 का पहला परंतुक बना

2013 के अधिनियम की धारा 272 की उप-धारा (3) और धारा 439 की उप-धारा (6) धारा 272 की उप-धारा (3) का दूसरा परंतुक बन गया। वे क्रमशः निर्धारित करते हैं, (i) परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए, पंजीयक को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है; और (ii) मंजूरी देने से पहले, केंद्र सरकार को एक उचित अवसर देना चाहिए।

कंपनी को प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस प्रकार, वास्तव में, परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए पंजीयक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और "केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बीच अंतर इस प्रकार रखा जाता है। यदि याचिका दायर की जानी है पंजीयक, इससे पहले 2 चीजें होनी चाहिए, अर्थात् (i) मंजूरी; और (ii) कंपनी को आपत्ति करने का अवसर। यदि याचिका "किसी अन्य व्यक्ति" द्वारा दायर की जानी है, तो केवल एक ही आवश्यकता है, अर्थात् केंद्र सरकार द्वारा

अधिसूचना। [ पैरा 6,18,6,19,6.20,2,21] [317-ई-एच; 318-ई-एच; 319 ए]

5. 2013 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों पर आते हुए,

2013 के अधिनियम की धारा 468 की उप-धारा (1) और (2) केंद्र सरकार को सभी मामलों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

कंपनी (समापन) नियम, 2020 के रूप में जाना जाता है। इन नियमों के नियम 5 और 7 विज्ञापन के बारे में बात करते हैं। नियम 5 का सार याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश दिए जाने से पहले ही कंपनी को बंद करने का अवसर प्रदान करना है। नियम 5 का अंतिम अंग कंपनी को नोटिस देने का निर्देश देने और याचिका के विज्ञापन के बारे में कोई भी निर्देश देने से पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए न्यायाधिकरण में निहित विवेकाधिकार के बारे में बताता है। नियम 5 का यह अंतिम अंग इस बारे में संकेत प्रदान करता है विज्ञापन का उद्देश्य। [ पैरा 7.7,7.10] [321-एच; 322-ए, 323 डी-ई]

6. आवश्यकता को देखने का एक तरीका

विज्ञापन यह है कि यह सभी को एक अवसर प्रदान करता है

हितधारक जैसे (i) लेनदार; (ii) कर्मचारी; (iii) आपूर्तिकर्ता; (iv) ग्राहक; और (v) आम जनता, या तो समर्थन करने के लिए या देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर।

समापन के लिए कार्यवाही का विरोध करें। विज्ञापन जारी करने के उद्देश्य को देखने का एक और तरीका भी है बंद करने के लिए याचिका। विज्ञापन कंपनी के साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक चेतावनी/सूचना या रेड अलर्ट के रूप में कार्य करता है ताकि उन्हें पता चले कि कंपनी के साथ काम करने में जोखिम का एक तत्व हो सकता है। [ पैरा 7.11] [323-एफ]

7. आखिरकार, किसी कंपनी को बंद करना किसी व्यक्ति के दिवालिया होने जैसा है। बंद करने के लिए याचिका का विज्ञापन ऊपर, न केवल बंद करने का समर्थन या विरोध करने के अवसर के रूप में कार्य करता है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है और शेयर बाजार में झटका देता है, अगर यह एक सूचीबद्ध कंपनी है।

या उन हितधारकों के बीच जिनका कंपनी के साथ सौदा है। यही कारण है कि याचिका के विज्ञापन का आदेश देने से पहले कंपनी (समापन) नियम, 2020 के नियम 5 में सुनवाई के अवसर पर विचार किया गया है। [ पैरा 7.12] [323-जी-एच]

8. जिस तरह से विज्ञापन की आवश्यकता है

अदालतों द्वारा देखा गया है कि विज्ञापन कंपनी को होने वाले लाभ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस मामले में अपीलार्थी का तर्क कि याचिका का विज्ञापन करने में विफलता उनके हित के लिए प्रतिकूल थी, विज्ञापन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक के विपरीत है।

और कंपनी पर पड़ने वाला शीतल प्रभाव। [ पैरा 7.14] [324-ई-एफ]

9. यहाँ तक कि एक ऐसे मामले में भी जहाँ न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

अदालत ने विज्ञापन प्रकाशित करने में विफलता को ऐसी चीज के रूप में नहीं देखा जिससे याचिका को बंद करने के लिए स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। यही कारण है कि बंद करने के लिए एक याचिका के विज्ञापन को कुछ ऐसा माना जाता है जो अलग-अलग उद्देश्यों पर काम करता है, कभी-कभी कई हितधारकों के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। उन्हें और कभी-कभी कंपनी के उत्पीड़न के उपाय के रूप में। ऐसे मामले हैं जहां कंपनियों के पास खुद [2022] 11 एस. सी. आर. हैं।

याचिका के विज्ञापन का इस आधार पर विरोध किया कि यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को पंगु बना देगा। ऐसे मामले भी हैं जहां विज्ञापन देने में विफलता के कारण कुछ लेनदारों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है कार्यवाही और इस प्रकार पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। [ पैरा 7.21] [330-सी. एफ]

नियम 35 के उप-नियम (1) में कहा गया है कि नियम 35 में निर्धारित प्रक्रिया उन मामलों में लागू होती है जहां किसी भी आवेदन, याचिका या संदर्भ का विज्ञापन करने की आवश्यकता होती है। समाप्त करने के लिए एक याचिका का विज्ञापन करने की आवश्यकता क़ानून से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि नियमों से बाहर निकलती है। चूंकि बंद करने के लिए याचिका का विज्ञापन करने की आवश्यकता कंपनी (बंद करने) नियम, 2020 के नियम 5 और 7 में निर्धारित की गई है, इसलिए नियम 35 में जो निर्धारित किया गया है, वह बंद करने के लिए याचिकाओं को भी शामिल करेगा। यदि ऐसा समझा जाए, तो उप-नियम ( 5 ) और एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 35 का (6) विवाद पर प्रकाश डालेगा। उप-नियम (5) यह स्पष्ट करता है कि उन मामलों में भी जहां न्यायाधिकरण का निर्देश संबंधित है।

विज्ञापन का अनुपालन नहीं किया गया है, न्यायाधिकरण ने एक विकल्प (i) या तो याचिका खारिज करने के लिए; या (ii) ऐसे आगे के निर्देश देने के लिए जो वह उचित समझे। उप-नियम (6) को शक्ति प्रदान करता है

न्यायाधिकरण किसी भी विज्ञापन को भी समाप्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, 1956 की वैधानिक व्यवस्था के तहत जो विशेष रूप से काले और सफेद रंग में उपलब्ध नहीं था, अर्थात् किसी भी विज्ञापन को वितरित करने की शक्ति, अब विशेष रूप से 2013 की वैधानिक व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई गई है। [ पैरा 7.25,7.26,7.27,7.28 और 7.29] [331-जी; 333-बी-ई]

11. हाथ में मामले में, परिसमापन में कंपनी के पास कोई लेनदार या ग्राहक नहीं है जिनके साथ लेनदेन है

कंपनी। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई हितधारक नहीं है जो याचिका के विज्ञापन के प्रकाशन का आदेश देने में एन. सी. एल. टी. की विफलता से पूर्वाग्रहित हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कंपनी को ऋण का भुगतान करने में असमर्थता या न्यायपूर्ण और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने की मांग की जाती है। यह धोखाधड़ी का मामला है और सभी हितधारक कार्यवाही से पूरी तरह से अवगत हैं और उन्होंने देवस मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के समापन से पहले आईसीसी मध्यस्थता पुरस्कार और 2 बीआईटी पुरस्कारों को लागू करने में अत्यधिक तात्कालिकता दिखाई है।

वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

कार्यवाही। इसलिए, कोई भी इस तर्क को बनाए रखने में असमर्थ है कि न्यायाधिकरण एक के प्रकाशन का आदेश देने में विफल रहा है

विज्ञापन ने पूरी कार्यवाही को गैरकानूनी बना दिया। [ पैरा 7:30] [334-बी; सी-डी]

12. सीमा हमेशा बंदूक पाउडर की एक ट्रेन के लिए एक रोशन माचिस की छड़ी के समान नहीं होती है। अवधि शुरू होने की तिथि जरूरी नहीं कि यह स्थिर हो। प्रारंभ की तारीख चूक के कृत्यों के आधार पर बदलती रह सकती है और

जिस पक्ष के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, उस पक्ष की ओर से आयोग। चूक और कमीशन के ये कार्य तथ्यों के समूह का गठन करते हैं, जो इस सवाल को निर्धारित करते हैं कि क्या कोई कार्रवाई सीमा द्वारा वर्जित है या नहीं। [ पैरा 8,21] [344-ए; 345-ए-बी] 13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) में वर्णित धोखाधड़ी की रूपरेखा तीन पहलुओं को शामिल करती है, अर्थात् (i) कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी के तरीके से संचालित किया जा रहा है; (ii) कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था; और (iii) इसके मामलों के गठन और प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार के दोषी रहे हैं। चूक या कमीशन का एक एकल कार्य धोखाधड़ी का गठन कर सकता है और यहां तक कि कार्यों की एक श्रृंखला धोखाधड़ी का गठन कर सकती है। एक धोखाधड़ी का कार्य उस धोखाधड़ी के तरीके से अलग हो सकता है जिसमें एक कार्य किया जाता है। "धोखाधड़ी के तरीके से एक कंपनी के मामलों का संचालन" शब्द इंगित करते हैं कि प्रक्रिया निरंतर थी। यदि धोखाधड़ी से कंपनी के मामलों का संचालन एक निरंतर प्रक्रिया है, तो आवेदन करने का अधिकार आवर्ती हो जाता है। [ पैरा 8.22] [345-बी-ई]

14. हाथ में मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार थे

बाद में ही पता चला और जब तक खोज की गई, तब तक धोखाधड़ी का फल काटने के प्रयास चरम पर पहुंच गए थे। ये प्रयास आज भी जारी हैं और ये पूरी तरह से विफल हो जाते हैं।

धारा 271 (ग) के अंतर्गत। इसलिए, यह तर्क कि याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है। [ पैरा 8.23] [345-एफ-जी]

राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ बनाम। पी. आर. रामकृष्णन और अन्य। ( 1983 ) 1 एससीसी 228: [ 1983 ] 1 एस. सी. आर. 922; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और ओआरएस। ( 2006 ) 6 एससीसी 94: [ 2006 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1 और जिग्नेश शाह और अन्र। वी. भारत संघ और एएनआर। ( 2019 ) 10 एससीसी 750 [2019] 12 एससीआर 678

प्रतिष्ठित। वी. रवि कुमार बनाम राज्य, प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा,

नेशनल कंड्यूट्स (पी) लिमिटेड बनाम एस. एस. अरोड़ा ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 279; कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। संयुक्त औद्योगिक बैंक लिमिटेड और अन्य। ( 1983 ) 4 एससीसी 625: [ 1983 ] 3 एससीआर 962; शेष नाथ सिंह बनाम। बैद्यबती शेओराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2021) 7 एस. सी. सी. 313; लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (2021) 8 एस. सी. सी. 481; परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी बनाम। बिशाल जैसवाल (2021) 6 एस. सी. सी. 366; और स्वेन्स्का हैंडल्सबैंकेन बनाम। भारतीय चार्ज क्रोम और ओआरएस। ( 1994 ) 1 एस. सी. सी. 502 [1993] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 323 संदर्भित है। -

हुसैन आरिफ़ ए. आई. आर. 1962 कैल 115-संदर्भित। इब्राहिमी वी। वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड (1972) 2 डब्ल्यूएलआर 1289 और री मेडिकल बैटरी कंपनी (1894) 1 सीएच। 444 और रे वाल्टर एल. जैकब एंड कंपनी लिमिटेड 89 5 बी. सी. सी. 244-संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण) पैराग्राफ 1463 पैरा 359, वॉल्यूम। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड का XVI, पाँचवाँ संस्करण (2017)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1968 एससी 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

3 ] 3 एससीआर 962

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.

उस पर भरोसा करें

0 ) 15 एस. सी. सी. 517

पैरा 7.2 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & एएनआर।

[ 2019 ] 12 एससीआर 678

प्रतिष्ठित

पै

रा 8.2

( 2021 ) 7 एस. सी. सी. 313

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.19

( 2021 ) 8 एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.19

( 2021 ) 6 एस. सी. सी. 366

पै

रा 8.19

संदर्भित किया गया है

[ 2018 ] 14 एससीआर 828

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 10.2

[ 2006 ] 2 पूरक। एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पै

रा 10.2

[ 1993 ] 3 पूरक। एससीआर 323

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.2

[ 1983 ] 1 एससीआर 922

प्रतिष्ठित

पै

रा 11.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5766

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 08.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की कंपनी अपील (एटी) (सीएच) No.17 में चेन्नई में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.5906।

मुकुल रोहतगी, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनुराधा दत्त,

सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, पवन शर्मा, सुश्री प्रियंका सांसद, चैतन्य कौशिक, अंबर भूषण, हरिस फाजिली, कुणाल दत्त, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमन, बलबीर सिंह, एएसजी, अंकुर तलवार, रजत नायर,

मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए पी. वी. योगेश्वरन, चिनमयी चंद्र, अरविंद कुमार शर्मा, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, सुश्री मैथिली मूंदरा, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, अरविंद रे, सुश्री वंशा सेठी, नमन टंडन, सुश्री सुरभी सिंह, समरवीर सिंह, सागरिका कौल, सुश्री मोनिका बेंजामिन, के. गुरुमूर्ति, प्रह्लाद सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. राष्ट्रीय द्वारा पारित समापन के आदेश को चुनौती देना

कंपनी अधिनियम, 2013 (संक्षेप में 2013 अधिनियम) की धारा 271 (सी) के तहत कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जिसकी अपीलों पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी, परिसमापन में कंपनी, जिसका नाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, के पास अपने पूर्व निदेशक के माध्यम से [2022] 11 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या 1, जो वह कंपनी है जिसने परिसमापन में कंपनी को बंद करने के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था और श्री बलबीर सिंह को पता चला कि भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।

3. संक्षिप्त पृष्ठभूमि

3.1 इन अपीलों में पहला प्रतिवादी, अर्थात् एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद एंट्रिक्स के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसे 28.09.1992 पर शामिल किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (संक्षिप्त में इसरो) की वाणिज्यिक शाखा है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।

3.2 28.07.2003 पर, एंट्रिक्स ने वर्जीनिया निगम, फोर्ज एडवाइजर्स, एल. एल. सी. के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। जैसा कि समझौता ज्ञापन में बताया गया है, इसका उद्देश्य दोनों पक्षों को प्रमुख नए उपग्रहों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन में मजबूत और महत्वपूर्ण भागीदार बनाना था कृषि, शिक्षा, मीडिया और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। अन्य बातों के अलावा, समझौता ज्ञापन में फोर्ज एडवाइजर्स को सलाहकार सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने पर विचार किया गया जिसमें बिक्री, विपणन, व्यवसाय विकास, रणनीतिक साझेदारी वार्ता और अन्य संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में निकट-अवधि की सामरिक परियोजनाएं और कॉर्पोरेट रणनीति, बाजार अवसर मूल्यांकन, नई सेवाओं के लिए व्यवसाय मामले का विकास, नई अनुप्रयोग सेवाओं का शुभारंभ आदि के क्षेत्रों में दीर्घकालिक परियोजनाएं शामिल हैं।

3.3 22.03.2004 पर, फोर्ज एडवाइजर्स ने एक भारतीय संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव करते हुए एक प्रस्तुति दी, जिसे "देवास" (डिजिटल रूप से उन्नत वीडियो और ऑडियो सेवाएं) के रूप में जाना जाने लगा। उक्त प्रस्ताव में यह अनुमान लगाया गया था कि देवास प्लेटफॉर्म विभिन्न बाजार क्षेत्रों जैसे (i) उपभोक्ता खंड की जरूरतों के अनुरूप उपग्रह से मोबाइल उपकरणों के माध्यम से मल्टीमीडिया और सूचना सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा।

जिसमें डिजिटल मल्टीमीडिया देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मनोरंजन और सूचना सेवाएं शामिल हैं।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कारों और वाहनों में कंसोल; (ii) वाणिज्यिक खंड, जिसमें वाणिज्यिक सूचना उपकरणों के लिए उच्च मूल्य की सूचना सेवाएं शामिल हैं।

वाणिज्यिक परिवहन वाहन; और (iii) सामाजिक खंड, जिसमें ग्रामीण सूचना कियोस्क के लिए विकासात्मक सूचना सेवाएँ शामिल हैं।

अनुपलब्ध क्षेत्र।

3.4 22.03.2004 दिनांकित प्रस्तुति के बाद 15.04.2004 दिनांकित एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव "एक रणनीतिक साझेदारी" बनाने का था।

एक संयुक्त उद्यम का गठन और संयुक्त उद्यम को पट्टे पर दिए जाने वाले एक जमीनी अंतरिक्ष खंड के साथ एक परिचालन एस-बैंड उपग्रह में निवेश करने के लिए इसरो और एंट्रिक्स की ओर से एक दायित्व। बदले में, इसरो और एंट्रिक्स को 15 साल की अवधि के लिए सालाना 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पट्टा भुगतान प्राप्त करना था। 3.5 डी. ई. वी. ए. एस. की अवधारणा, जैसा कि दिनांकित 15.04.2004 के प्रस्ताव के कार्यकारी सारांश के अंतिम पैराग्राफ में संकेत दिया गया है, अन्य बाजारों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्स. एम. रेडियो और सिरियस रेडियो और कोरिया और जापान में उपग्रह के माध्यम से मोबाइल प्रसारण निगम की मल्टीमीडिया सेवाओं के विकास और प्रदर्शन पर आधारित थी।

3.6 ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, फोर्ज और इसरो/के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें हुईं। एंट्रिक्स और एस. ए. सी. (स्पेस एप्लीकेशन सेंटर) के निदेशक डॉ. के. एन. शंकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन प्रस्ताव की जांच के लिए किया गया था।

3.7 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'देवास' या 'परिसमापन में कंपनी' के रूप में संदर्भित) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तुरंत

इसके बाद, एंट्रिक्स ने उक्त कंपनी के साथ एक समझौता किया

28.01.2005 . इस समझौते का शीर्षक "देवस द्वारा इसरो/एंट्रिक्स एस-बैंड अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए समझौता" था। समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि देवास थे

1 प्रस्ताव के कार्यकारी सारांश का अनुच्छेद 1 दिनांक 15.04.2004 [2022] 11 एस. सी. आर.

मल्टीमीडिया और सूचना देने में सक्षम एक मंच विकसित करना

विभिन्न बाजार खंडों की जरूरतों के अनुरूप मोबाइल रिसीवरों को उपग्रह और स्थलीय प्रणाली के माध्यम से सेवाएं और इसलिए देवास ने एंट्रिक्स से अनुरोध किया था कि वह एस. डी. एम. बी. सेवा, एक नई डिजिटल मल्टीमीडिया और सूचना सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष खंड की क्षमता, जिसमें ऑडियो और वीडियो सामग्री और सूचना संवादात्मक सेवाएं शामिल हैं, जो पूरे भारत में उपग्रह और स्थलीय के माध्यम से वितरित की जाएंगी।

मोबाइल फोन, वाहनों के लिए मोबाइल वीडियो/ऑडियो रिसीवर आदि सहित स्थिर, पोर्टेबल मोबाइल रिसीवरों के माध्यम से प्रणाली एंट्रिक्स द्वारा देवास को जो पट्टे पर दिया जाना था, वह था 8.1 मेगाहट्र्ज क्षमता वाले 5 सी. एक्स. एस. ट्रांसपोंडर और प्राथमिक उपग्रह 1 (पी. एस. 1) पर 2.7 मेगाहट्र्ज क्षमता वाले 5 एस. एक्स. सी. ट्रांसपोंडर। एंट्रिक्स द्वारा पट्टे पर दी गई क्षमता को समझौते के 30 महीने के भीतर पूरी तरह से चालू और तैयार पीएस-1 से देवास को छह महीने की अतिरिक्त छूट अवधि के साथ वितरित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

3.8 समझौते के अनुच्छेद 7 में उन परिस्थितियों के आधार पर एक या दूसरे के लिए कुछ परिणामों के साथ, दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा समझौते को समाप्त करने के प्रावधान थे, जिनके तहत समाप्ति की गई थी।

3.9 ऐसा प्रतीत होता है कि देवास ने मई 2006 से सितंबर 2009 की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) से मंजूरी प्राप्त की। उन अनुमोदनों के अनुसार, देवास ने वास्तव में भारत में लगभग 579 करोड़ रुपये का निवेश किया।

3.10 देवास ने 02.05.2008 पर दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस भी प्राप्त किया।

इसके बाद देवास ने आई. एस. पी. लाइसेंस के नियमों और शर्तों के दायरे में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई. पी. टी. वी.) सेवाएं प्रदान करने के लिए 31.03.2009 पर दूरसंचार विभाग से अनुमति प्राप्त की। देवास सितंबर 2009 में उपग्रह और स्थलीय प्रणाली के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रयोग करने का दावा करता है।

3.11 हालाँकि 28.01.2005 दिनांकित समझौते को एंट्रिक्स द्वारा 25.02.2011 दिनांकित एक संचार द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

समझौते का अनुच्छेद 7 (सी), जो बल प्रयोग के आधार पर समाप्ति का प्रावधान करता है। उक्त पत्र में कहा गया था कि भारत सरकार ने वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एस-बैंड में कक्षीय स्थान प्रदान नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया था।

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

3.12 इस समाप्ति के कारण देवास ने आई. सी. सी. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष भारत में एक वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू की। स्वतंत्र रूप से,

मॉरीशस के निवेशकों ने भारत-मॉरीशस द्वीपक्षीय निवेश संधि के तहत बीआईटी मध्यस्थता की शुरुआत की और जर्मन कंपनी डॉयचे टेलीकॉम ने भारत-जर्मनी बीआईटी के तहत बीआईटी मध्यस्थता की शुरुआत की। आई. सी. सी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 14.09.2015 पर एक पुरस्कार पारित किया जिसमें एंट्रिक्स को देवास को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ $<आई. डी. 2 मिलियन की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। भारत सरकार को अन्य 2 बी. आई. टी. मध्यस्थता कार्यवाही में भी इसी तरह के पुरस्कारों का सामना करना पड़ा।

3.13 इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने 16.03.2015 पर कंपनी के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की।

आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराधों के लिए। इसके बाद 11.08.2016 पर एक आरोप-पत्र दायर किया गया और 08.01.2019 पर पूरक शुल्क-पत्रक। इसी तरह प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर संख्या 12/बीजीजेडओ/2015 में एक रिपोर्ट दायर की।

3.14 इसलिए, एंट्रिक्स ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से 14.01.2021 पर प्राधिकरण के लिए अनुरोध किया।

देवताओं को समाप्त करने के लिए 2013 के अधिनियम की धारा 271 (सी) के तहत कार्यवाही शुरू करें। प्राधिकरण 18.01.2021 पर दिया गया था, जिसके आधार पर एंट्रिक्स ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंगलुरु पीठ के समक्ष 18.01.2021 पर देवास को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी।

3.15 19.01.2021 पर, NCLT ने देवास के वकील को सुनने के बाद, कंपनी की याचिका को स्वीकार करने और नियुक्त करने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया। बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक, अस्थायी परिसमापक के रूप में।

3.16 एन. सी. एल. टी. के उक्त आदेश के विरुद्ध कंपनी को स्वीकार करना

याचिका, डी. ई. एम. पी. एल. ने एक अपील दायर की, लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा डी. ई. एम. पी. एल. को एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्ष लेने और सभी आपत्तियों को उठाने के निर्देश के साथ इसका निपटारा कर दिया गया। 3.17 डी. ई. एम. पी. एल. ने एक साथ 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6191 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 (1) (ई) की वैधता और मंत्रालय द्वारा दिनांकित 18.01.2021 प्राधिकरण को रद्द करने के लिए प्रार्थना करना। देवास को समाप्त करने के लिए

कार्यवाही शुरू करने के लिए एंट्रिक्स को कॉर्पोरेट मामले। उच्च न्यायालय ने 28.04.2021 पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और [2022] 11 एस. सी. आर. भी लगाया।

डी. ई. एम. पी. एल. पर इस आधार पर रु. 5,00,000/- की लागत कि वे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के दोषी थे।

3.18 एक अंतिम आदेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा, NCLT ने देवास को समाप्त करने का निर्देश दिया। बंद करने के आदेश से व्यथित होकर, देवास ने एक याचिका दायर की अपील और शेयरधारक-डी. ई. एम. पी. एल. ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक और अपील दायर की। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा इन अपीलों को खारिज कर दिए जाने के बाद, कंपनी के पूर्व निदेशक के साथ-साथ शेयरधारक भी हमारे समक्ष अपील पर हैं।

4. हमले के आधारः

4.1 परिसमापन में कंपनी, जो एक अपील में अपीलार्थी है, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेशों पर व्यापक रूप से हमला करती है निम्नलिखित आधारः

विज्ञापन की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन

( (i)

बंद करने का आदेश देने से पहले;

सीमा द्वारा वर्जित याचिका को समाप्त करना;

( (ख)

( iii) एंट्रिक्स को धोखाधड़ी का अनुरोध करने से रोक दिया गया;

( ) ( 0 (iv)

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

प्रतिपरीक्षा के लिए अनुमति से इनकार।

( (v) तथ्य के गलत निष्कर्ष;

€ ( vi) प्रश्न पर प्रमाण के गलत मानक का प्रयोग

धोखाधड़ी;

( vii) धोखाधड़ी के परिणामों के बारे में गलत निष्कर्ष,

यह मानते हुए कि धोखाधड़ी स्थापित की गई थी;

4.2 डी. ई. एम. पी. एल., जो हमारे समक्ष दूसरी अपील में अपीलकर्ता है और जिसके पास जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 3.48% है।

परिसमापन में कंपनी, निम्नलिखित आधारों पर मोटे तौर पर विवादित आदेशों पर हमला करती है:

विरोध करने के लिए एक छोटे शेयरधारक के अधिकार का सवाल

( (i)

दोनों न्यायाधिकरणों द्वारा इसके विपरीत समाप्त करने का निर्णय लिया गया है

कानून;

( (ख)

के प्रश्न पर शेयरधारकों के विरुद्ध अभिलिखित निष्कर्ष

धोखाधड़ी, उन्हें एक पक्ष बनाए बिना और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना दर्ज किया गया है; देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

वी. एंट्रिक्स

आर. पी. ओ. आर. ए. एन. लि. & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

( (iii) अनुपयोगी औपचारिकता के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू न करना।

ऑर्डर देने से पहले विज्ञापन जैसी आवश्यकताएँ

बंद हो जाता है।

5. रक्षा 5.1 श्री एन द्वारा विवादित आदेशों का बचाव करने की मांग की गई है।

अतरमन, एंट्रिक्स की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,

निम्नलिखित आधारों पर लीः

न्यायाधिकरण द्वारा 8 अलग-अलग मामलों में दर्ज किए गए विस्तृत निष्कर्ष

( (i)

देवास द्वारा कंपनी के गठन और कंपनी के कार्यों को करने के तरीके दोनों में की गई धोखाधड़ी के प्रकार, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत अपील में हमला नहीं किया जा सकता है।

बीच में किया गया 28.01.2005 दिनांकित समझौता

( (ख)

देवास 2 प्रौद्योगिकी, देवास सेवाएँ और देवास उपकरण, जिनमें से कोई भी गठन की तारीख को मौजूद नहीं था

देवास या समझौते के निष्पादन की तारीख या समझौते की समाप्ति की तारीख पर और यहां तक कि उस दिन भी नहीं

कम्पनीकेँ समाप्त करबाक तिथि।

( iii)

एस. ए. टी. सी. ओ. एम. नीति का उल्लंघन, कार्यवृत्त में हेरफेर बैठकें और भ्रामक कैबिनेट नोट।

वित्तीय धोखाधड़ी की चौंकाने वाली प्रकृति।

( (iv) 5.2 श्री बलबीर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पेश हुए

भारत संघ ने व्यापक रूप से विवादित आदेशों का बचाव किया

विंग ग्राउंड्सः

( (i)

धारा 271 (सी) के तहत एक याचिका में अनावश्यक। धोखाधड़ी के सवाल को व्यापक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए

( (ख)

न केवल भारतीय संविधान की धारा 17 में निर्धारित मानदंड

अनुबंध अधिनियम, 1872, लेकिन धारा 447 में भी धारा के साथ पढ़ा गया

7 कंपनी अधिनियम, 2013 और इसे ध्यान में रखते हुए

धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के तरीके, धोखाधड़ी के बीच अंतर

उद्देश्य और गैरकानूनी उद्देश्य।

परिसमापन में कंपनी का एक संदर्भ है, हमने 'देवास' शब्द में छोटे अक्षरों का उपयोग किया है और जहां भी देवास द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी का संदर्भ है, हमने 'देवास' [2022] 11 एस. सी. आर. शब्द में बड़े अक्षरों का उपयोग किया है।

( 111 ) संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए देवताओं का प्रयास

धारा 271 (ग) और इसकी विफलता।

( (iv) मामला मामलों की श्रेणी में नहीं आता है।

जहाँ प्रतिपरीक्षा आवश्यक थी।

6. धोखाधड़ी को समाप्त करने और अंतर के लिए एक आधार के रूप में

1956 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम के बीच इससे पहले कि हम विवादित आदेश को चुनौती देने के विशिष्ट आधारों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) की रूपरेखा को देखना आवश्यक है, जैसा कि दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा कहा गया है (i) यह कंपनी अधिनियम में एक नया जोड़ है; और (ii) यह धोखाधड़ी के आधार पर समाप्त होने का पहला मामला है। इसलिए, 2013 के अधिनियम के प्रावधानों की तुलना 1956 के अधिनियम के प्रावधानों से करने से हमें बेहतर लाभ हो सकता है।

6.1 कंपनी अधिनियम, 1956 ने समापन की दो श्रेणियों के बारे में बात की, अर्थात् (i) न्यायाधिकरण द्वारा समापन; और (ii) स्वैच्छिक समापन। वे परिस्थितियाँ जिनमें न्यायालय द्वारा किसी कंपनी को समाप्त किया जा सकता है, 1956 के अधिनियम की धारा 433 में सूचीबद्ध किया गया था। इस खंड में उन नौ परिस्थितियों की सूची दी गई है जिनमें किसी कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। धोखाधड़ी (i) या तो कंपनी के गठन में या (ii) कंपनी के मामलों के संचालन में या (iii) इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्तियों की ओर से, 1956 के अधिनियम की धारा 433 में निर्धारित परिस्थितियों में से एक नहीं थी।

6.2 हालांकि 1956 के अधिनियम की धारा 433 में धोखाधड़ी को उन परिस्थितियों में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया था जिसमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है,

यह अभी भी धोखाधड़ी का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ था। 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) में सात व्यक्तियों की सूची प्रदान की गई थी जो किसी कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन दायर करने के हकदार थे। धारा 439 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत, धारा 243 के तहत आने वाले मामले में "केंद्र सरकार द्वारा उनकी ओर से अधिकृत किसी भी व्यक्ति" द्वारा समापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 1956 के अधिनियम की धारा 243 ने केंद्र को सशक्त बनाया

सरकार धारा 237 के खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में समापन के लिए याचिका दायर कराएगी। 1956 के अधिनियम की धारा 243 निम्नानुसार हैः

" 243. कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन या आदेश

धारा 397 या 398 के तहत। - यदि ऐसी कोई कंपनी या अन्य निकाय देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

निगम इस अधिनियम के तहत समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है और केंद्र सरकार को उपरोक्त किसी भी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति के कारण ऐसा करना समीचीन है जो इस प्रकार हैः धारा 237 के
खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट, केंद्र सरकार तब तक कर सकती है जब तक कि कंपनी या निगमित निकाय

न्यायाधिकरण द्वारा पहले से ही समाप्त किया जा रहा है, कारण प्रस्तुत किया जाना है

केंद्र द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायाधिकरण को

इस संबंध में सरकार

कंपनी, या निकाय के समापन के लिए एक याचिका

( अ)

निगमित इस आधार पर कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि

घायल होना चाहिए;

धारा 397 या 398 के तहत आदेश के लिए आवेदन,

( ख)

( (ग)

जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिका और आवेदन दोनों।

6.4 धारा 243 धाराओं के प्रावधानों के एक समूह का हिस्सा है।

235 अधिनियम के भाग VI के अध्याय I में 251 तक। धारा 235 से 251 तक के प्रावधानों के इस समूह को "जांच" शीर्षक के तहत समूहीकृत किया गया है।

धारा 235 (1) केंद्र सरकार को धारा 234 के तहत जब भी पंजीयक द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है तो कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। धारा 235 (1) से स्वतंत्र, केंद्र सरकार को धारा 237 के तहत जांच का आदेश देने का भी अधिकार है, अगर उसकी राय में या कंपनी लॉ बोर्ड की राय में (i) कंपनी का व्यवसाय धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या (ii) कंपनी

किसी धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए गठित किया गया था या (iii) कंपनी के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति

इसके मामलों के संबंध में धोखाधड़ी के दोषी हैं। 1956 के अधिनियम की धारा 237 इस प्रकार हैः

" 237. अन्य मामलों में कंपनी के मामलों की जांच।

धारा 235 के तहत अपनी शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, केंद्रीय

सरकार -

( क) एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करेगा।

( (i) कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा; या

( (ii) न्यायालय, आदेश द्वारा, [2022] 11 एस. सी. आर.

घोषणा करता है कि कंपनी के मामलों को होना चाहिए

केंद्र द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक द्वारा जाँच की गई

सरकार; और

न्यायाधिकरण अपनी राय या राय में ऐसा कर सकता है,

( ख)

ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो सुझाव देती हैं

( (i)

कि कंपनी का व्यवसाय चलाया जा रहा है

अपने लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से, या अन्यथा धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के लिए। गैरकानूनी उद्देश्य या अपने किसी भी सदस्य के दमनकारी तरीके से, या यह कि कंपनी का गठन किसी धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था;

के गठन में संबंधित व्यक्ति

( (ख)

कंपनी या उसके मामलों के प्रबंधन में है कंपनी या उसके किसी भी सदस्य के प्रति धोखाधड़ी, कदाचार या अन्य कदाचार का दोषी होने का संबंध; या

( 111 ) कि कंपनी के सदस्यों को उसके मामलों के संबंध में वह सारी जानकारी नहीं दी गई है जिसकी वे यथोचित रूप से उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के प्रबंधकों या अन्य निदेशकों या प्रबंधकों को देय कमीशन की गणना से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

6.5 इस प्रकार 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) (च), 243 और 237 (ख) के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि (i) कंपनी के गठन में धोखाधड़ी; ( (ii) कंपनी के कार्यों के संचालन में धोखाधड़ी; और (iii) कंपनी के मामलों के गठन या संचालन में लगे व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी, हालांकि 1956 के अधिनियम की धारा 433 के तहत कुछ परिस्थितियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं थी, फिर भी 1956 के अधिनियम के तहत भी कंपनी को बंद करने के लिए उपलब्ध थी। लेकिन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना था। वे इस प्रकार हैं: ( i) ऊपर उल्लिखित एक या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी का अपराध जांच की रिपोर्ट में परिलक्षित होता है; (ii) इन प्रावधानों के तहत याचिका केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की जानी है; और (iii) याचिका को इस आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कंपनी को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है।

6.6 धारा 243 (ए) से जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि

1956 की धारा 439 (1) (च) के संदर्भ में समाप्त करने के लिए याचिका

अधिनियम, जिसे धारा 237 (बी) (आई) और (आई) के साथ पढ़ा जाता है, को न्यायपूर्ण और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर होना चाहिए।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

न्यायसंगत "जमीन"। 1956 के अधिनियम की धारा 243 का खंड (ए), सक्षम

केंद्र सरकार (यदि धारा 237 (ख) (i) और (ii) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार को ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है), किसी भी मामले में किसी को भी अधिकृत करने के लिए

किसी कंपनी को बंद करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, सीधे धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तव में इस आधार पर कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को बंद किया जाना चाहिए।

6.7 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के कई पहलू हैं। कंपनी कानून में न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड की उत्पत्ति का पता साझेदारी के कानून से लगाया जा सकता है, जिसने "ईमानदारी की अवधारणाओं" को विकसित किया।

सद्भावना और आपसी विश्वास 3 "। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के शब्दों में, न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के पीछे का सिद्धांत यह है कि "समानता हमेशा न्यायालय को न्यायसंगत विचारों के लिए कानूनी अधिकारों के प्रयोग के अधीन करने में सक्षम बनाती है"। दूसरे शब्दों में, इस खंड के तहत वैधानिक रूप से शासित कानूनी अधिकारों पर न्यायसंगत विचार अधिरोपित किए जाते हैं।

6.8 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि शब्दों में "न्यायसंगत और न्यायसंगत"

न्यायालय द्वारा समाप्त करने के लिए आधार निर्दिष्ट करने वाले विधान को पूर्ववर्ती शब्दों के साथ सामान्य न्याय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियमन। उन्हें श्रेणियों या शीर्षकों के गठन द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए जिनके तहत मामले लाए जाने चाहिए यदि अधिनियम लागू होना है। लेकिन मामलों के अलावा, (i) जहां कंपनी के इतिहास में या शेयरधारकों के बीच संबंधों में कुछ है; या (ii) जहां लकवाग्रस्त प्रकार का कार्यात्मक गतिरोध है; या (iii) जहां विश्वास की न्यायोचित कमी है, जो न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड को समाप्त करने के लिए याचिका को जन्म दे सकती है, कम से कम इंग्लैंड के न्यायालयों के समक्ष अन्य मामले भी हुए हैं, जिनमें से कुछ इंग्लैंड के हैल्सबरी कानूनों के पांचवें संस्करण (2017) के खंड 16 के पैराग्राफ 360 में सूचीबद्ध हैं। उनमें से दो हैं (i) जहां कंपनी एक बुलबुला कंपनी है; और (ii) जहां कंपनी अपनी स्थापना में धोखाधड़ी कर रही है और बिना अपनी पूंजी के घाटे में चल रही है।

6.9 लेकिन पारंपरिक रूप से, किसी कंपनी द्वारा बाहरी लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है

या यह तथ्य कि कंपनी ने बाहरी लोगों के साथ बेईमानी से काम किया, अंग्रेजी कानून में समाप्त होने का आधार नहीं था। इस संबंध में री मेडिकल बैटरी कंपनी 3 का एक उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है, जहां सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से जांच से संबंधित एक प्रश्न सामने आया। यह वहाँ आयोजित किया गया था

3 इब्राहिमी बनाम वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड ; ( 1972 ) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 1289 4 पैरा 359, खण्ड। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड का XVI, पाँचवाँ संस्करण (2017)। 5 ( 1894 ) 1 च.

धारा 124-ए को शामिल करने के लिए अधिनियम, 1989। दिवाला अधिनियम, 1986 की धारा 124-ए के तहत, (i) राज्य सचिव किसी कंपनी को बंद करने की मांग कर सकता है यदि वह सोचता है कि यह जनहित में समीचीन है। कंपनी को बंद करना और (ii) यदि अदालत ऐसा करना उचित और न्यायसंगत समझती है। इस तरह का समापन (i) कंपनी अधिनियम के तहत कुछ जांचों की रिपोर्ट; या (ii) वित्तीय सेवा और बाजार अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट; या (iii) आपराधिक न्याय अधिनियम, 1987 के तहत किसी भी जानकारी पर आधारित हो सकता है।

6.11 री वाल्टर एल. जैकब एंड कंपनी लिमिटेड में, अपील न्यायालय (सिविल डिवीजन) एक मामले से संबंधित था, जिसमें

प्रतिभूतियों में सौदा करने वाले बेईमान व्यक्तियों की गतिविधियों से आम जनता की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी। 6.12 इस प्रकार, अंग्रेजी कानून में भी एक बदलाव आया, इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण से कि कंपनी द्वारा बाहरी लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी

बंद करने के लिए एक मैदान के रूप में उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, सार्वजनिक हित के आधार पर समापन को इंग्लैंड में न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड से भी जोड़ा गया था। शायद यही कारण है कि भारत में भी कानून को समाप्त करने के लिए

6 ( 1989 ) 5 बी. सी. सी. 244 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

धोखाधड़ी के आधार पर एक कंपनी का, न्यायसंगत और न्यायसंगत से भी जुड़ा हुआ था 1956 के अधिनियम के तहत खंड।

6.13 लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 243 (ए) का आदेश धोखाधड़ी के मामलों में न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर सहारा लेने के लिए,

थोड़ा असंगत था। यह इस कारण से है कि धारा 443 (2) के तहत, अदालत न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने का आदेश देने से इनकार कर सकती है, अगर मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध था।

बंद हो जाता है। 1956 के अधिनियम की धारा 443 (2) इस प्रकार हैः

" 443. याचिका की सुनवाई पर न्यायाधिकरण की शक्तियाँ

XXXXXXXXXXXXX

( 2 ) जहां याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की जाती है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण समाप्त करने का आदेश देने से इनकार कर सकता है, यदि यह राय है कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध है और वे उस अन्य उपाय को आगे बढ़ाने के बजाय कंपनी को समाप्त करने की मांग में अनुचित तरीके से काम कर रहे हैं।

इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि धोखाधड़ी उपलब्ध थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, एक कंपनी के समापन के लिए एक परिस्थिति के रूप में, यहां तक कि

1956 के अधिनियम के तहत, धारा 443 (2) के कारण न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड से इसका संबंध थोड़ा समस्याग्रस्त था।

एक कंपनी के मामलों की जाँच। लेकिन 1956 के अधिनियम की धारा 237 के तहत, जांच का आदेश देने की शक्ति केंद्र के पास थी सरकार, जबकि यह 2013 अधिनियम की धारा 212 के तहत न्यायाधिकरण के पास है। 2013 के अधिनियम की धारा 224 (2) 1956 के अधिनियम की धारा 243 के समान है क्योंकि यह केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को फाइल करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाती है

किसी भी जाँच की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त करने के लिए एक याचिका। यहाँ फिर से, ऐसी जाँच की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त करने की याचिका, धारा 224 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के आधार पर न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर होनी चाहिए, जो धारा के खंड (ए) के समान है।

243 . 6.15 1956 के अधिनियम की वैधानिक व्यवस्था से 2013 के अधिनियम का मुख्य विचलन, धोखाधड़ी का विशिष्ट समावेश है, जो सीधे [2022] 11 एस. सी. आर. में से एक है।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें किसी कंपनी को बंद किया जा सकता है। 2013 के अधिनियम की धारा 271 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनमें एक कंपनी हो सकती है घायल हो गया। 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (ए), (जी), (एच) और (आई) अब 2013 के अधिनियम की धारा 271 के खंड (ए), (बी), (डी) और (ई) बन गए हैं, हालांकि एक ही क्रम में नहीं। इसके अलावा, (i) धोखाधड़ी के तरीके से कंपनी के मामलों का संचालन; (ii) धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन; और (iii) इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों को धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार का दोषी होने के कारण अब धारा 271 के खंड (सी) में शामिल किया गया है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, धोखाधड़ी अब सीधे (2013 की व्यवस्था के तहत) ऐसी परिस्थितियों में से एक बन गई है जिसमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है, हालांकि यह धारा 223 के साथ पठित धारा 224 (2) के तहत अप्रत्यक्ष रूप से एक आधार बना हुआ है [जैसा कि यह 1956 के अधिनियम की धारा 243 और 237 (बी) के साथ पठित धारा 439 (1) (एफ) के तहत था]।

6.16 वास्तव में, 2013 के अधिनियम की धारा 271 (1), जैसा कि इसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, में एक कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता शामिल थी

समापन के लिए आधारों में से एक। इसलिए, डीमिंग प्रावधान जो 1956 के अधिनियम की धारा 434 में था, उसे 2013 के अधिनियम की धारा 271 की उप धारा (2) के रूप में स्थान मिला। लेकिन दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम 31) द्वारा, धारा 271 से "ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" को हटा दिया गया है। नतीजतन, डीमिंग प्रावधान धारा 271 की उप-धारा (2) में भी हटा दिया गया है। वास्तव में, 2013 के अधिनियम की धारा 271 (धारा 270 और 272 के साथ) को अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत अधिसूचित होने से पहले ही संशोधित कर दिया गया था।

6.17 दूसरे शब्दों में, धारा 271, जैसा कि यह मूल रूप से 2013 के अधिनियम में थी, ने छह परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया जिसमें एक कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। ऋण चुकाने में असमर्थता उन छह परिस्थितियों में से एक थी। लेकिन अधिनियम 31 द्वारा

2016 में, 'ऋण का भुगतान करने में असमर्थता' को परिस्थितियों की सूची से हटा दिया गया। 2013 के अधिनियम की धारा 271, जो अब 2016 के बाद है, इस प्रकार हैः

" 271. ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कंपनी बंद हो सकती है

न्यायाधिकरण द्वारा-एक कंपनी, धारा 272 के तहत एक याचिका पर, न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त की जा सकती है,

यदि कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा यह संकल्प लिया है कि

( अ)

न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी को समाप्त किया जाए;

7 अब किसी कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का आधार है। यदि सी. आई. आर. पी. विफल हो जाता है, तो समापन का सहारा लिया जा सकता है।

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

यदि कंपनी ने हितों के खिलाफ काम किया है

( ख)

भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता

या नैतिकता;

( (ग)

यदि पंजीयक या किसी अन्य द्वारा किए गए आवेदन पर

अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति

इस अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी के तरीके से संचालित किया गया है या कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था या गठन में संबंधित व्यक्ति या

इसके मामलों का प्रबंधन इसके संबंध में धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार का दोषी रहा है और

यह उचित है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए;

यदि कंपनी ने पंजीयक के पास दाखिल करने में चूक की है

( (घ)

लगातार पाँच वित्तीय वर्षों से ठीक पहले के लिए उसके वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी; या

( ई)

यदि न्यायाधिकरण की राय है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है

कि कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। '

6.18 जिस प्रकार 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) ने उन व्यक्तियों की सूची प्रदान की है जिनके द्वारा समाप्ति के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है, उसी प्रकार धारा 272 ( 1 ) 2013 के अधिनियम में उन व्यक्तियों की सूची भी प्रदान की गई है जिनके द्वारा समापन के लिए याचिका दायर की जा सकती है। 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 272 (1) दोनों में जो समानता है, वह यह है कि समाप्त करने के लिए याचिका निम्न द्वारा दायर की जा सकती हैः ( (i) कंपनी; (ii) कोई अंशदाता; (iii) पंजीयक; और (iv) केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति।

उस तरफ से।

6.19 1956 के अधिनियम की धारा 439 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 272 (1) दोनों व्यक्तियों के संबंध में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों का उपयोग करती हैं।

जिन्हें मंजूरी दी जानी है, वे अलग हैं। इसी तरह, मंजूरी देने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण के मुद्दे के लिए कंपनी को किसी भी पूर्व अवसर की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतिनिधित्व करें। 1956 के अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (5) और (6) और 2013 के अधिनियम की धारा 272 की उप-धारा (3) को आसान संदर्भ के लिए एक तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

439. 272 के लिए आवेदनों के बारे में प्रावधान। बंद करने की याचिका बंद हो रहा है

( 1 ) .....

( 1 ) .....

( 2 ) ... ..... ... ... .....

( 2 ) .....

( 3 ) पंजीयक का अधिकार होगा -

( 3 ) .....

बंद करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत करें

( 4 ) ..... .....

धारा 271, आधारों को छोड़कर

( 5 ) सिवाय उस मामले के जहाँ वह है

उस धारा के खंड (ए) में:

के खंड (च) के अनुसरण में प्राधिकृत

बशर्ते कि पंजीयक प्राप्त करेगा

उप-धारा (1), पंजीयक होगा

केंद्रीय

पिछली मंजूरी

में से

समाप्त करने के लिए एक याचिका पूर्व-भेजने का अधिकार

सरकार एक प्रस्तुत करने के लिए

केवल निर्दिष्ट आधारों पर एक कंपनी

याचिकाः

धारा के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)] में

बशर्ते कि केंद्रीय

433 :

सरकार इसकी मंजूरी नहीं देगी।

बशर्ते कि पंजीयक उपस्थित नहीं होगा

जब तक कंपनी को एक नहीं दिया गया

है

खंड में निर्दिष्ट आधार पर एक याचिका

उचित है

बनाना।

में से

मौका

( ई) उपरोक्त, जब तक कि यह उसे भी दिखाई न दे

प्रतिनिधित्व।

कंपनी की वित्तीय स्थिति से

जैसा कि इसकी तुलनपत्र में या से प्रकट किया गया है

के अधीन नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

धारा 233 क या एक निरीक्षक] नियुक्त

धारा 235 या 237 के तहत, कि कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ

हैः

की पूर्व मंजूरी प्राप्त करें केंद्र सरकार प्रस्तुति के लिए

याचिका के किसी भी आधार पर

ऊपर कहा गया है।

( 6 ) केंद्र सरकार नहीं करेगी

के अनुसरण में अपनी मंजूरी प्रदान करें

पूर्वगामी परंतुक, जब तक कि कंपनी ने पहले मिला मौका

अपना प्रतिनिधित्व करना, यदि कोई हो।

6.20 उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि दूसरा परंतुक

1956 के अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (5) 2013 के अधिनियम की धारा 272 की उप-धारा (3) का पहला परन्तुक बन गया और धारा 439 की उप-धारा (6) धारा की उप-धारा (3) का दूसरा परन्तुक बन गया।

272. वे क्रमशः निर्धारित करते हैं, (i) समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए, पंजीयक को केंद्र की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

सरकार; और (ii) मंजूरी देने से पहले, केंद्र सरकार को कंपनी को एक उचित अवसर देना चाहिए - एक प्रतिनिधित्व करें।

6.21 इस प्रकार, वास्तव में, प्रक्रिया के बीच अंतर होना चाहिए

पंजीयक द्वारा अनुसरण किया जाता है और समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए "केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को बनाए रखा जाता है। यदि याचिका पंजीयक द्वारा दायर की जानी है, तो उससे पहले 2 चीजें होनी चाहिए, अर्थात् (i) मंजूरी; और (ii) कंपनी को आपत्ति करने का अवसर।

यदि याचिका देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड होनी है। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

"किसी अन्य व्यक्ति" द्वारा दायर की गई, केवल एक ही आवश्यकता है जो अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण की है।

6.22 उपरोक्त चर्चा से पता चलेगा कि इसके विपरीत

1956 अधिनियम, 2013 अधिनियम धोखाधड़ी के आधार पर एक कंपनी को बंद करने के लिए 2 अलग-अलग मार्ग प्रदान करता है। वे इस प्रकार हैं:

अधिसूचना द्वारा सरकार; या
( (ii) धारा 271 के खंड (ई) के तहत (इस आधार पर कि इसे समाप्त करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है) धारा के संदर्भ में समाप्त करना।

224 ( 2 ) ( क) धारा213 (ख) के तहत जांच की रिपोर्ट के आधार पर।

6.23 यदि दूसरा मार्ग अपनाया जाता है, तो न्यायाधिकरण की समापन का आदेश देने की शक्ति, संभवतः उप-धारा द्वारा सीमित हो सकती है।

( 2 ) धारा 273 में कहा गया है कि जहां एक याचिका प्रस्तुत की जाती है

न्यायसंगत आधार पर, न्यायाधिकरण बंद करने का आदेश देने से इनकार कर सकता है, यदि यह राय है कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध है और वे अन्य उपाय करने के बजाय कंपनी को बंद करने की मांग में अनुचित तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है

क्या इस तरह का प्रतिबंध धोखाधड़ी के मामलों पर लागू किया जा सकता है, जो जांच की रिपोर्टों द्वारा स्थापित किया गया है, उचित मामलों में परीक्षण करना पड़ सकता है।

6.24 1956 के बीच की विशिष्ट विशेषताओं को देखने के बाद

अधिनियम और 2013 अधिनियम, किसी कंपनी को बंद करने के लिए एक आधार के रूप में धोखाधड़ी की उपलब्धता के सवाल के संबंध में, आइए अब एक के बाद एक विवादित आदेशों पर हमले के आधारों पर विचार करें।

7. कंपनी याचिका का विज्ञापन

7.1 1956 के अधिनियम व्यवस्था के तहत, किसी कंपनी को बंद करने के लिए कार्यवाही का तरीका कंपनियों द्वारा निर्धारित किया गया था ( न्यायालय) नियम, 1959 1956 के अधिनियम की धारा 643 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के तहत लगभग 23 प्रकार के आवेदन, जो याचिका के माध्यम से किए जाएंगे। नियम 11 (बी) में कहा गया है कि नियम 11 (ए) के दायरे में आने वाले आवेदनों के अलावा अन्य सभी आवेदन न्यायाधीश के समन द्वारा किए जाएंगे। 7.2 (i) याचिका के माध्यम से किए जाने वाले आवेदनों और (ii) नियम 11 में न्यायाधीश के समन के माध्यम से किए जाने वाले आवेदनों के बीच अंतर करने के बाद, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 नियम 23 और 24 में विज्ञापन के बारे में बताता है। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 23 और 24 इस प्रकार हैं:

" 23. निर्देश के लिए समन-(ए) जहां एक याचिका प्रस्तुत की जाती है

नियम 11 के पैराग्राफ (1), (3), (4), (22) और (23) के तहत, प्रत्येक मामले में, याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश के लिए चैंबर में न्यायाधीश को समन द्वारा एक आवेदन किया जाएगा:

उस पर और ऐसे निर्देश दे सकता है जो उसे लगें उचित है। ( ग) अन्य याचिकाओं के मामले में निर्देशों के लिए समन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन याचिका स्वीकार करने पर,

तारीख तय करने के लिए कक्ष में न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए

याचिका के विज्ञापन और दिए जाने वाले नोटिसों के बारे में सुनवाई और निर्देश, और ऐसे अन्य निर्देश जो हो सकते हैं

24. याचिका का विज्ञापन-(1) जहां कोई याचिका है विज्ञापन दिए जाने की आवश्यकता है, यह तब तक होगा जब तक कि न्यायाधीश अन्यथा आदेश न दे,

या ये नियम अन्यथा प्रदान करते हैं, कम से कम विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से चौदह दिन पहले, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र के एक अंक में और अंग्रेजी भाषा में एक-एक दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में

और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसारित क्षेत्रीय भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र, जो इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

न्यायाधीश। ( 2 ) किसी कंपनी को बंद करने की याचिका के मामले को छोड़कर न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो इन नियमों द्वारा आवश्यक किसी भी विज्ञापन को समाप्त कर सकता है। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

7.3 जैसा कि नियम 23 से देखा जा सकता है, याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश के लिए समन, नियम 23 द्वारा निपटाया गया, नियम 11 (ए) में सूचीबद्ध 23 मदों में से केवल 5 से संबंधित है। इन 5 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है

नियम 23, वे हैं जो क्रम संख्या में पाए जाते हैं। 1 , 3 , 4 , 22 और नियम 11 (ए) का 23। समाप्त करने के लिए एक याचिका नियम 11 (ए) की मद No.15 के तहत आती है। इसलिए,

नियम 23 में समाप्त करने की याचिका के लिए कोई आवेदन नहीं है।

7.4 नियम 24 याचिका के विज्ञापन से संबंधित है। लेकिन नियम 24 (1) "जहां किसी भी याचिका का विज्ञापन करने की आवश्यकता होती है" शब्दों से शुरू होता है।

इसलिए, नियम 24 का भी तब तक कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जब तक कि अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए याचिका का विज्ञापन करने की आवश्यकता है।

7.5 1959 के नियमों के भाग III में संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

समापन के लिए कार्यवाही। इस भाग में नियम 95 से 338 शामिल हैं। नियम 95 के अनुसार समाप्त करने के लिए एक याचिका फॉर्म No.45,46 या 47 में होनी चाहिए। नियम 96 याचिका के स्वीकार और निर्देशों के बारे में बताता है कि विज्ञापन। वह इस प्रकार हैः

" 96. याचिकाओं को स्वीकार करना और इसके बारे में निर्देश विज्ञापन-याचिका दायर करने के बाद, इसे याचिका को स्वीकार करने और उसकी सुनवाई के लिए एक तारीख तय करने और याचिका के बारे में निर्देश देने के लिए न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन और वे व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें याचिका की प्रतियां दी जानी हैं। न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश देने से पहले कंपनी को नोटिस देने का निर्देश दे सकता है।
नियम 99 विज्ञापन से संबंधित है और यह इस प्रकार हैः

" 99. याचिका का विज्ञापन-न्यायालय के किसी भी निर्देश के अधीन, याचिका का विज्ञापन इन नियमों के नियम 24 द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर और तरीके से किया जाएगा। विज्ञापन

यह प्रपत्र संख्या 48 में होगा।

7.6 यह याद रखना चाहिए कि 1956 के अधिनियम के भाग VII के अध्याय II में अपने आप में कोई प्रावधान नहीं था, जिसमें समाप्त करने के लिए याचिका के विज्ञापन की आवश्यकता थी। लेकिन 1956 के अधिनियम की धारा 643 की उप-धारा (2) के खंड (i) के साथ पठित धारा 643 (1) केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, न्यायालय द्वारा किसी कंपनी को समाप्त करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यवाही के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति को प्रत्यायोजित करती है। इसलिए यह नियम हैं जो विज्ञापन के बारे में बात करते हैं।

7.7 2013 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों पर आते हुए, 2013 के अधिनियम की धारा 468 की उप-धारा (1) और (2) केंद्र को सशक्त बनाती है। सरकार समापन [2022] 11 एस. सी. आर. से संबंधित सभी मामलों के लिए नियम बनाएगी।

कंपनियों के ऊपर। इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने नियमों का एक समूह जारी किया है जिसे कंपनियों (समापन) के रूप में जाना जाता है। ऊपर) नियम, 2020। इन नियमों के नियम 5 और 7 विज्ञापन के बारे में बात करते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं:

" 5. याचिकाकर्ता का प्रवेश और इसके बारे में निर्देश

विज्ञापन। - याचिका दायर करने के बाद, इसे याचिका को स्वीकार करने और तारीख तय करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

उसकी सुनवाई के लिए और प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों और उन व्यक्तियों, यदि कोई हों, जिन पर याचिका की प्रतियां भेजी जानी हैं, के बारे में उचित निर्देश देने के लिए और जहां याचिका कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, वहां न्यायाधिकरण, यदि वह उचित समझता है, तो कंपनी को नोटिस देने का निर्देश दे सकता है और इस बारे में निर्देश देने से पहले सुनवाई का अवसर दे सकता है -

याचिका का विज्ञापन, यदि कोई हो, और याचिकाकर्ता विज्ञापन का सारा खर्च वहन करेगा। 7. याचिका का विज्ञापन। - न्यायाधिकरण के किसी भी निर्देश के अधीन, याचिका की सूचना का विज्ञापन सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले अंग्रेजी और व्यापक रूप से प्रसारित स्थानीय भाषा के किसी भी दैनिक समाचार पत्र में किया जाएगा।

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और विज्ञापन फॉर्म विन में होगा।

6. "

7.8 2020 के नियमों के नियम 7 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए, यह श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील, द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायाधिकरण उस समाचार पत्र के बारे में निर्देश जारी करेगा जिसमें विज्ञापन जारी किया जाना है और विशेष संस्करण (राज्य, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय संस्करण) जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क है कि एक के प्रकाशन का आदेश

विज्ञापन अनिवार्य है, लेकिन छोटी चीजें जैसे कि विशेष समाचार पत्र, विशेष संस्करण आदि को न्यायाधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है निर्देशों के रूप में प्रयोग किया जाना।

7.9 उपरोक्त तर्क की शुद्धता का परीक्षण करने से पहले, नियम 5 की शरीर रचना को देखना आवश्यक हो सकता है जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित करता है।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

समापन के लिए याचिका दायर करने पर न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। नियम 5 में निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार हैः

( 1 ) याचिका को पहले प्रवेश के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।

( 2 ) प्रवेश के लिए याचिका पोस्ट करने का उद्देश्य तीन गुना है, अर्थात् (i) याचिका की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करना; (ii) विज्ञापन के बारे में उचित निर्देश जारी करना। प्रकाशित; और (iii) उन व्यक्तियों को इंगित करते हुए जिन्हें याचिका की प्रतियां प्रदान की जानी हैं।

( 3 ) जिस तारीख को याचिका प्रवेश के लिए पोस्ट की जाती है, उस तारीख को न्यायाधिकरण कंपनी को नोटिस देने का निर्देश दे सकता है और

देने से पहले सुनने का अवसर भी प्रदान करें

याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश।

7.10 नियम 5 का सार याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश दिए जाने से पहले ही कंपनी को बंद करने का अवसर प्रदान करना है। नियम 5 का अंतिम अंग कंपनी को नोटिस देने का निर्देश देने और पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए न्यायाधिकरण में निहित विवेकाधिकार के बारे में बताता है। याचिका के विज्ञापन के बारे में कोई भी निर्देश देना। नियम 5 का यह अंतिम अंग विज्ञापन के उद्देश्य के बारे में संकेत प्रदान करता है।

7.11 विज्ञापन की आवश्यकता को देखने का एक तरीका यह है कि यह सभी हितधारकों को अवसर प्रदान करता है जैसे (i) लेनदार; (ii) कर्मचारी; (iii) आपूर्तिकर्ता; (iv) ग्राहक; और (v) आम जनता, या तो समापन की कार्यवाही का समर्थन या विरोध करने के लिए। वहाँ

समाप्त करने के लिए याचिका का विज्ञापन जारी करने के उद्देश्य को देखने का एक और तरीका भी है। विज्ञापन कंपनी के साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक चेतावनी/सूचना या रेड अलर्ट के रूप में कार्य करता है ताकि उन्हें पता चले कि कंपनी के साथ काम करने में जोखिम का एक तत्व हो सकता है।

7.12 आखिरकार, किसी कंपनी को बंद करना किसी व्यक्ति के दिवालिया होने जैसा है। बंद करने के लिए याचिका का विज्ञापन, नहीं

यह केवल समापन का समर्थन या विरोध करने के अवसर के रूप में कार्य करता है, लेकिन कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है और शेयर बाजार में झटका देता है, यदि यह एक सूचीबद्ध कंपनी है या उन हितधारकों के बीच है जिनका कंपनी के साथ सौदा है। यही कारण है कि [2022] 11 एस. सी. आर. के विज्ञापन का आदेश देने से पहले नियम 5 में सुनवाई के अवसर पर विचार किया गया है।

याचिका। ठीक यही कारण है कि इस न्यायालय ने नेशनल कंड्यूट्स (पी) लिमिटेड बनाम नेशनल कंड्यूट्स (पी) लिमिटेड में निर्णय दिया। एस. एस. अरोड़ा 3 इस प्रकार हैः

" XXXXX XXXX

XXXXX

याचिका स्वीकार की जाती है, विज्ञापन दिया जाता है कि याचिका नियम 96 के सादे शब्दों के विपरीत है। यदि इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह न्यायालय को संभावित मामलों में उत्पीड़न और यहां तक कि ब्लैकमेल करने का एक साधन बना देगा, क्योंकि एक बार याचिका का विज्ञापन दिए जाने के बाद, कंपनी के व्यवसाय को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है।

और चोट लगी।

7.13 निर्णय नेशनल कंड्यूट्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) का पालन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल में किया गया था।

बैंक लिमिटेड और अन्य। ' वास्तव में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में कंपनियों का तर्क था कि "समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ समापन याचिका की प्रस्तुति, कंपनी की स्थिति, स्थिति, वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता और परिचालन दक्षता पर कुछ गंभीर परिणाम देती है।" इस प्रकार व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करते हुए, इस न्यायालय ने नेशनल कंड्यूट्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह विचार रखने से आशंकाएं दूर हो गईं कि विज्ञापन स्वचालित नहीं है।

कंपनी को होने वाले लाभ की तुलना में। अतः इस मामले में अपीलार्थी का तर्क है कि विज्ञापन देने में विफलता याचिका उनके हितों के लिए प्रतिकूल थी, विज्ञापन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक और इसके डराने वाले प्रभाव के विपरीत है

कंपनी में होना चाहिए। 7.15 इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय आचरण में, यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न एक अपील से संबंधित था, जिसमें कहा गया था कि एक बार याचिका दायर करने के लिए स्वीकार किए जाने के बाद, न्यायालय तुरंत बाध्य है।

याचिका का विज्ञापन करना। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के आदेश को कंपनी ने खुद इस आधार पर चुनौती दी थी कि विज्ञापन उनके लिए प्रतिकूल था। चुनौती पर विचार करते हुए, नियम 24 (2) के संदर्भ में, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय आचरण (पैराग्राफ 4 में) में अभिनिर्धारित किया कि समाप्त करने के लिए एक याचिका

8 ए. आई. आर 1968 एस. सी 279

9 9 (1983) 4 एस. सी. सी. 625 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

जब तक याचिका का विज्ञापन नहीं किया जाता है, तब तक अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं रखा जा सकता है।

7.16 आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक 1 0, उच्च न्यायालय में कंपनी न्यायाधीश के रूप में हम में से एक (वी. आर. एस., जे.) द्वारा लिखित मद्रास के न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1959 के नियमों का नियम 99 विज्ञापन जारी करना अनिवार्य बनाता है और यह कि नियम 24 (2) कंपनी न्यायालय को भी समापन की कार्यवाही में किसी भी विज्ञापन को जारी करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड (ऊपर) में यह भी बताया गया था कि नियम 100 (2) में निर्धारित तिथि से पहले समापन याचिका को वापस लेने पर प्रतिबंध है।

पक्षकारों की सुनवाई के लिए विज्ञापन, विज्ञापन की आवश्यकता की अनिवार्य प्रकृति के बारे में भी एक संकेत प्रदान करता है। उपरोक्त निर्णय में, नियम 101, जिसमें विज्ञापन देने में विफल रहने पर मूल याचिकाकर्ता के स्थान पर लेनदार या अंशदाता के प्रतिस्थापन का प्रावधान है, पर भी ध्यान दिया गया था। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 101 इस प्रकार हैः

" नियम 101। के लिए लेनदार या अंशदाता का प्रतिस्थापन

मूल याचिकाकर्ता। - जहाँ एक याचिकाकर्ता। ( 1 ) याचिका प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है, या

( 2 ) इन नियमों द्वारा निर्धारित समय के भीतर या अदालत के आदेश द्वारा या ऐसे विस्तारित समय के भीतर अपनी याचिका का विज्ञापन करने में विफल रहता है जिसकी अदालत अनुमति दे; या

( 3 ) याचिका वापस लेने के लिए सहमति, या इसे खारिज करने की अनुमति, या सुनवाई स्थगित करने के लिए या उसके समर्थन में उपस्थित होने में विफल रहता है

याचिका तब दायर की जाती है जब इसे अदालत में उस दिन बुलाया जाता है जिस दिन मूल रूप से इसकी सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, या किसी भी दिन जिस दिन सुनवाई की गई है।

स्थगित, या ( 4 ) यदि उपस्थित होता है, तो प्रार्थना के संदर्भ में आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है

उनकी याचिका

या

जहां न्यायालय की राय में इस नियम के तहत आदेश दिए जाने का कोई अन्य पर्याप्त कारण है, वहां न्यायालय इस प्रकार का आदेश दे सकता है। शर्तें जो वह उचित समझे, याचिकाकर्ता के रूप में किसी भी लेनदार या अंशदाता को प्रतिस्थापित करें, जिसे अदालत की राय में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, और जो याचिका पर मुकदमा चलाने का इच्छुक है।

7.17 उपरोक्त नियम 101 के आलोक में भी, बैंक लिमिटेड में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विज्ञापन की आवश्यकता अनिवार्य थी। उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने आधिकारिक राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन को समाप्त करने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में एक ओर उच्च न्यायालय लाहौर और गुजरात और दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय के बीच इस संबंध में मतभेद को भी लिया। आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 55 हैं।

निम्नानुसार आसान संदर्भ के लिए तैयार किया गयाः

" 53. उत्तर प्रदेश में ट्विगा फाइबरग्लास लिमिटेड बनाम। पारेख मार्केटिंग प्रा.

लिमिटेड (1986 (59) सी. सी. 886), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपील पर विचार किया, एक सवाल, अन्य के साथ, कि क्या राजपत्र में विज्ञापन का प्रकाशन न करना नियम 24 का उल्लंघन होगा। उस मामले में, कंपनी न्यायाधीश एक अंग्रेजी दैनिक में विज्ञापनों के प्रकाशन का आदेश दिया

और एक स्थानीय दैनिक, लेकिन राजपत्र में नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 24 (1) में "जब तक कि न्यायाधीश अन्यथा आदेश न दे" एक नियम शामिल है और नियम 99 "न्यायालय के किसी भी निर्देश के अधीन" के बारे में भी बोलता है। सरकारी राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन को समाप्त करने की कंपनी न्यायालय की शक्ति के संबंध में इसी तरह का विचार गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने लिया था।

प्लास्टिसैक पी. लिमिटेड बनाम। गुजरात लीज फाइनेंस लिमिटेड {2000 (101) सीसी 334 (गुजरात)}। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कंपनी न्यायालय की शक्ति के संबंध में इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से असहमति जताई।

आधिकारिक में विज्ञापन के प्रकाशन को समाप्त करें

राजपत्र। लेफ्टिनेंट कर्नल R.K.Saxena बनाम इंपीरियल फॉरेस्ट्री निगम (2001 (107) सी. सी. 401 (डी. एल.)), की एक खंड पीठ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियम 96,99 और 24 पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कहा कि "एक याचिका के विज्ञापन का प्रकाशन।

समाप्त करना अनिवार्य है, यहां तक कि अधिकारी के संबंध में भी

राजपत्र "। नियम 99 द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार के दायरे पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विवेकाधिकार केवल यह तय करने की सीमा तक सीमित है कि याचिका का विज्ञापन किस स्तर पर किया जाना है। यह तर्क कि कंपनी न्यायालय के पास नियम 9 के आधार पर अंतर्निहित शक्तियां हैं, यहां तक कि नियम 24 की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए भी, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि "यदि कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से कुछ करने की आवश्यकता रखता है, तो वह करेगा।

इस तरह से किया जाए या बिल्कुल नहीं "।

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

आर. पी. ओ. आर. ए. एन. लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

54. हालांकि दोनों के बीच मतभेद था

एक ओर इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालय और दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय, वितरण की शक्ति के संबंध में सरकारी राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन के साथ, ये सभी न्यायालय कम से कम प्रकाशन की आवश्यकता की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में अपनी राय में सर्वसम्मत थे

विज्ञापन, एक अंग्रेजी दैनिक और एक स्थानीय दैनिक में

कंपनी न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि

विज्ञापनों का प्रकाशन अनिवार्य है। इस बात की परवाह किए बिना कि अदालत को राजपत्र में प्रकाशन को समाप्त करने का कोई विवेक है या नहीं, कम से कम समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन अनिवार्य है और याचिका दायर करने वाले लेनदार की विफलता है।

एक सकारात्मक आदेश के बावजूद इस आवश्यकता का पालन करने के लिए

प्रभाव, उसकी याचिका के लिए घातक है।

55. फाल्कन गल्फ सिरामिक्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक डिजाइन

राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, ब्यूरो (1996 (86) सी. सी. 207 (राज.)) ने कंपनी न्यायालय द्वारा पारित समापन के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि समापन आदेश से पहले कोई विज्ञापन नहीं था। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उस मामले में निर्णय दिया कि नियम 96 के प्रावधानों को देखते हुए याचिका का विज्ञापन अनिवार्य था नियम 99 के साथ पढ़ें। ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानूनों (चौथे संस्करण) के अनुच्छेद 1463 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि इन प्रावधानों का पालन न करना एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर न्यायालय याचिका को खारिज कर देगा। नेशनल कंड्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रासंगिक अंश का हवाला देने के बाद, डिवीजन बेंच ने अपने फैसले के पैरा 16 में फैसला सुनाया कि विज्ञापन और प्रवेश के अभाव में, बंद करने की याचिका खारिज होने के लिए बाध्य थी।

7.18 हालाँकि, जब आई. डी. बी. आई. लिमिटेड में कंपनी न्यायाधीश के फैसले पर एक अंतर-अदालत अपील में हमला किया गया, तो मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रदीप डी. कोठारी बनाम आई. डी. बी. आई. बैंक मामले में फैसला सुनाया।

इस प्रकार हैः

" 31. इसलिए, हमारे दिमाग में, तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए विचार करने के लिए दो पहलू उत्पन्न होंगे तत्काल मामला। सबसे पहले, यदि मूल याचिकाकर्ता द्वारा बंद करने का विज्ञापन नहीं किया जाता है, जैसा कि निर्देश दिया गया है, तो क्या अदालत पीएल को विज्ञापन देने का निर्देश दे सकती है

याचिका, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यवाही अन्य बातों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लेनदारों के लाभ के लिए है न कि एक एकल लेनदार के लिए ?

31.1 . इस स्थिति का जवाब, हमारे दिमाग में, सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो पी. एल. को ऐसी परिस्थितियों में कंपनी याचिका का विज्ञापन करने से रोकता है, हालांकि, आमतौर पर, व्यवहार में, कंपनी याचिकाओं का विज्ञापन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता है जो कार्रवाई की स्थापना करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम कंपनी न्यायालय को याचिका का विज्ञापन करने के लिए पी. एल. को निर्देश देने से नहीं रोकते हैं। हम इस दृष्टिकोण को क्यों रखते हैं, इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है,

कि, जबकि याचिका का विज्ञापन अनिवार्य है

समापन कार्यवाही आर. ई. एम. में कार्यवाही है और

इसलिए व्यापक प्रचार प्राप्त करना चाहिए।

आगे बढ़ें, जब तक कि मूल याचिकाकर्ता या किसी उपयुक्त प्रतिस्थापन द्वारा कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाता है जो नियम 101 (4) में दी गई अर्हताएँ।

7.19 लेकिन आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश का निर्णय और डिवीजन बेंच का निर्णय

प्रदीप डी. कोठारी, समापन की कार्यवाही से उभरे, जिसमें विज्ञापन के प्रकाशन का निर्देश देने वाला एक विशिष्ट आदेश कंपनी न्यायालय द्वारा प्रवेश के समय दिया गया था। हालाँकि, याचिका दायर करने वाले लेनदार द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया था। इसलिए, उस मामले में विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि एक कंपनी न्यायाधीश को उन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जहां याचिका दायर करने वाला लेनदार याचिका पर आगे मुकदमा चलाने में रुचि खो देता है और विज्ञापन को अंजाम दिए बिना कार्यवाही को छोड़ देता है। यह प्रश्न इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण हो गया कि एक याचिका दायर करने वाले लेनदार की विफलता के परिणामस्वरूप ऋणदाताओं के पूरे निकाय के लिए गंभीर पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। 7.20 प्रदीप डी. कोठारी में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए, आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड मामले में अपने फैसले में। आधिकारिक परिसमापक 1 2, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

12 12 (2020) 15 एस. सी. सी. 517 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

आर. पी. ओ. आर. ए. एन. लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" 14.3 . इस पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह यह है कि क्या समापन याचिका को केवल नियम के तहत अभियोजन लेनदार की कमी के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

101 , या क्या कंपनी न्यायालय के पास कंपनी के परिसमापक द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन का निर्देश देने की शक्ति है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अन्य असंतुष्ट लेनदार अभी भी बने हुए हैं।

इस सवाल का जवाब देने के लिए ध्यान रखना जरूरी है।

कि समापन कार्यवाही आरईएम में कार्यवाही है और है

सामान्य रूप से लोगों के अधिकारों पर प्रभाव। इस प्रकार, ऐसी कार्यवाही का विज्ञापन करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कि वे जितना हो सके उतना व्यापक प्रचार प्राप्त करें और सभी

अतः जब असंतुष्ट लेनदार हों जिन्हें याचिका पर मुकदमा चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए था, लेकिन विज्ञापन देने में विफलता के कारण वे इससे वंचित थे। वास्तव में, नियम 101 केवल उन उदाहरणों तक सीमित है जहां याचिका दायर करने वाला लेनदार याचिका का विज्ञापन करने में विफल रहता है। हालाँकि, नियम 24,96 या 99 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि केवल ऐसा याचिका दायर करने वाला लेनदार ही याचिका का विज्ञापन कर सकता है। हमारी सुविचारित राय में, एक विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति को देखते हुए कि याचिका का विज्ञापन केवल याचिका दायर करने वाले लेनदार द्वारा किया जा सकता है, कंपनी न्यायालय के पास विज्ञापन के प्रकाशन का निर्देश देने का विवेकाधिकार है - अन्य लेनदारों के हितों को सुरक्षित करना। ऐसी स्थितियों में, समापन कार्यवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही निराशाजनक होगा।

इसका उद्देश्य सभी लेनदारों के हितों को सुरक्षित करना है।

14.4. इस चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि तत्काल मामले में समापन याचिका को केवल इस आधार पर खारिज करना अन्यायपूर्ण होगा कि मूल याचिका का स्थान लेने के लिए कोई अन्य व्यक्ति तैयार नहीं है।

नियम 101 के संदर्भ में लेनदार। यहाँ, की कमी के कारण समापन याचिकाओं का विज्ञापन, ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षित

के. ओ. एफ. एल. के लेनदारों को डी. आर. टी. से संपर्क करने के लिए विवश किया गया था

ओ. ए. संख्या को भरकर उनके बकाया की वसूली। 139 2001 का, 2000 का 978 और 2002 का 14। इसके अलावा, कंपनी न्यायाधीश के दिनांक 04.10.2013 के निर्णय के बारे में जानने पर, समापन को खारिज करते हुए

याचिका, सुरक्षित लेनदारों (एस. बी. आई.) में से एक ने भी [2022] 11 एस. सी. आर. से संपर्क किया।

डी. आर. टी. अपने हित को सुरक्षित करने के लिए। इसके आधार पर, डी. आर. टी. ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था कि के. ओ. एफ. एल. को वापस की जाने वाली राशि को संलग्न किया जाए ताकि बैंकों को के. ओ. एफ. एल. से अपने बकाया की वसूली करने का अवसर मिले। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि के. ओ. एफ. एल. के सुरक्षित लेनदार प्रासंगिक हितधारक थे जो

वे समापन याचिका के गैर-विज्ञापन से प्रभावित थे। उन्हें यह संकेत देने के लिए कहा जाना चाहिए था कि क्या वे नियम के अनुसार याचिका दायर करने वाले लेनदारों के स्थान पर कदम रखना चाहेंगे।

101. "

7.21 इस प्रकार ऐसे मामले में भी जहां न्यायालय का विचार था कि विज्ञापन अनिवार्य है, न केवल नियमों में निहित प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए, बल्कि प्रवेश के समय कंपनी न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट आदेश को देखते हुए, प्रकाशन का निर्देश देते हुए

निर्दिष्ट समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए, इस न्यायालय ने किसी विज्ञापन को प्रकाशित करने में विफलता को ऐसी चीज के रूप में नहीं देखा जिससे याचिका को बंद करने के लिए स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। यही कारण है कि बंद करने के लिए एक याचिका के विज्ञापन को कुछ ऐसा माना जाता है जो क्रॉस उद्देश्यों पर काम करता है, कभी-कभी कई लोगों के लिए फायदेमंद होता है।

हितधारकों के लिए यह उन्हें सुनने का अवसर प्रदान करता है और कभी-कभी कंपनी के उत्पीड़न के उपाय के रूप में। ऐसे मामले हैं जहां कंपनियों ने स्वयं इस आधार पर याचिका के विज्ञापन का विरोध किया है कि यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों को पंगु बना देगा। ऐसे मामले भी हैं जहां विज्ञापन देने में विफलता के कारण कुछ लेनदारों को कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है और इस तरह पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने टी. नारायणन बनाम अधिकारी मामले में फैसला सुनाया।

परिसमापक 1 3, राष्ट्रीय संचालन में निर्णय पर ध्यान देने के बाद, निम्नानुसारः

" 38. यह मानते हुए कि अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है?

प्रक्रियात्मक अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन वास्तव में समापन आदेश को दूषित कर देगा और आगे की कार्यवाही को रोक देगा? . द.

विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है?

एक प्रक्रियात्मक अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन एक तीन साल के बाद समापन आदेश को दरकिनार करने का आधार, विशेष रूप से जब अपीलार्थी को पहले दौर में मुकदमेबाजी लड़ने का अवसर मिला था? '

13 2012 ( 1 ) एमएलजे 59 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

39. विज्ञापन का उद्देश्य एक अवसर देना है लेनदार/देनदार/कंपनी अपना मामला न्यायालय के समक्ष रखे।

यह मानते हुए कि प्रक्रियात्मक अनिवार्य आवश्यकता थी

हमारे सुविचारित विचार में, यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो यह तीन साल के बाद समापन आदेश को अलग करने का आधार नहीं हो सकता है।

जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है

आधिकारिक परिसमापक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोपों को बनाए रखने के लिए, किसी को पूर्वाग्रह स्थापित करना चाहिए। जब निष्पक्षता दिखाई जाती है और यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह इंगित करता है कि कंपनी/अंशदाता को नोटिस पर रखा गया था और उनके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था, कंपनी/अंशदाता किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता की शिकायत नहीं कर सकता है।

7.22 हमें एक और पहलू पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 एक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और एक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए अनिवार्य करता है जो अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान की जा सकती हैं। धारा 424 (1) यह स्पष्ट करती है कि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होंगे, बल्कि सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे।

प्राकृतिक न्याय; और (ii) अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

7.23 जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 468 (1) केंद्र को अधिकार देती है

सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप नियम बनाएगी, जिसमें समापन से संबंधित सभी मामलों का प्रावधान होगा, धारा 469 (1) केंद्र सरकार को आम तौर पर इन नियमों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

अधिनियम के प्रावधान।

7.24 धारा 468 और 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने कंपनी (समापन) नियम जारी किए

2020. इसी तरह, केंद्र सरकार ने नियमों का एक और सेट जारी किया

धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 (संक्षेप में "एन. सी. एल. टी. नियम 2016") कहा जाता है।

7.25 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 का नियम 35 याचिकाओं के विज्ञापन से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

" 35. याचिका का विवरण देने वाला विज्ञापन। - ( 1 ) जहाँ कोई

आवेदन, याचिका या संदर्भ का विज्ञापन किया जाना आवश्यक है, यह तब तक होगा जब तक कि न्यायाधिकरण अन्यथा आदेश नहीं देता है, या ये नियम अन्यथा [2022] 11 एस. सी. आर.

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले, प्रपत्र एन. सी. एल. टी.-3 ए में विज्ञापन दिया जाए, कम से कम एक बार जिले की प्रमुख स्थानीय भाषा में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में जो कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में उस जिले में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र में।

( 2 ) ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में कहा जाएगा;

( अ)

वह तिथि जिस पर आवेदन, याचिका या संदर्भ था प्रस्तुत किया गया;

आवेदक, याचिकाकर्ता और उसका नाम और पता

( ख)

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो;

आवेदन, याचिका की प्रकृति और सार या

( (ग)

संदर्भ;

सुनवाई के लिए तय की गई तारीख;

( (घ) ( ई)

इस आशय का एक कथन कि कोई भी व्यक्ति जिसका हित है

प्रस्तावित याचिका से प्रभावित होने की संभावना है या जो सुनवाई में याचिका या संदर्भ का विरोध या समर्थन करने का इरादा रखता है, वह संबंधित पीठ और याचिकाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को अपने इरादे की सूचना भेजेगा, जो ब्याज की प्रकृति और आधारों को दर्शाता है। विरोध ताकि दो दिन पहले उससे संपर्क न किया जा सके

सुनवाई के लिए नियत दिन तक।

कोई भी। ( 4 ) सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पहले न्यायाधिकरण को एक शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि क्या याचिका का विज्ञापन इस नियम के अनुसार किया गया है और क्या नोटिस, यदि कोई हैं, तो उन व्यक्तियों को विधिवत दिए गए हैं जिन्हें दिए जाने की आवश्यकता है:

बशर्ते कि शपथ-पत्र के साथ ऐसा भी होगा

विज्ञापन या सेवा का प्रमाण, जो उपलब्ध हो।

( 5 ) जहां याचिका के विज्ञापन और सेवा के संबंध में इस नियम या न्यायाधिकरण के निर्देश की आवश्यकताएं देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अनुपालन नहीं होने पर न्यायाधिकरण या तो याचिका खारिज कर सकता है या

आगे ऐसी दिशाएँ दें जो वे उचित समझते हैं। ( 6 ) न्यायाधिकरण, यदि वह उचित समझता है, और पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर, आवश्यक किसी भी विज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

इस नियम के तहत प्रकाशित किया जाएगा।

7.26 नियम 35 के उप-नियम (1) से यह देखा जा सकता है कि नियम 35 में निर्धारित प्रक्रिया उन मामलों में लागू होती है जहां कोई भी आवेदन,

याचिका या संदर्भ का विज्ञापन किया जाना आवश्यक है।

7.28 यदि ऐसा समझा जाए तो एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 35 के उप-नियम (5) और (6) इस विवाद पर प्रकाश डालेंगे। उप-नियम (5) यह स्पष्ट करता है कि उन मामलों में भी जहां विज्ञापन के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्देश का पालन नहीं किया गया है, न्यायाधिकरण के पास एक विकल्प है (i) या तो याचिका को खारिज करने के लिए; या (ii) ऐसे आगे के निर्देश देने के लिए जो वह उचित समझे। उप-नियम (6) न्यायाधिकरण को किसी भी विज्ञापन को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।

7.29 दूसरे शब्दों में, 1956 की वैधानिक व्यवस्था के तहत जो विशेष रूप से काले और सफेद रंग में उपलब्ध नहीं था, अर्थात् किसी भी विज्ञापन को वितरित करने की शक्ति, अब विशेष रूप से इसके तहत उपलब्ध कराई गई है।

2013 की वैधानिक व्यवस्था।

7.30 हाथ पर मामले में, परिसमापन में कंपनी थी

17.12.2004 पर निगमित, संघ का ज्ञापन

कंपनी को डी. वेणुगोपाल और एम. उमेश नाम के दो व्यक्तियों ने सदस्यता दी थी। उन्होंने प्रति शेयर क्रमशः 9000 इक्विटी शेयरों और 1000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली। इसके बाद रामचंद्रन विश्वनाथन, परेश शाह नटवरलाल, जेम्स फॉक्स, एम. जी. चंद्रशेखर, अभिषेक जैन और एल. क्लेरेंस इरविंग नाम के छह व्यक्तियों को जारी किया गया।

31.12.2005 पर इक्विटी शेयर। इसके बाद, दो निगमित इकाइयाँ, कोलंबस कैपिटल देवास (मॉरीशस) लिमिटेड और टेलीकॉम देवास

मॉरीशस लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। इसके बाद, दो अन्य कंपनियों का नाम डॉयचे टेलीकॉम एशिया पीएलसी रखा गया। लिमिटेड और देवास एम्प्लॉइज मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को इक्विटी शेयरों के साथ जारी किया गया था। ये सभी शेयरधारक समापन [2022] 11 एस. सी. आर. से अवगत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री रामचंद्रन विश्वनाथन के माध्यम से एक शेयरधारक डी. ई. एम. पी. एल. द्वारा कार्यवाही और कार्यवाही का कड़ा मुकाबला किया जाता है।

वह एक शेयरधारक भी था। एम. जी. चंद्रशेखर नामक एक अन्य व्यक्तिगत शेयरधारक ने कंपनी के पूर्व निदेशक के रूप में परिसमापन में उपरोक्त अपीलों में से एक दायर की है। मान लीजिए, परिसमापन में कंपनी के पास कोई लेनदार या ग्राहक नहीं है जिनका कंपनी के साथ लेन-देन है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई हितधारक नहीं है जो याचिका के विज्ञापन के प्रकाशन का आदेश देने में एन. सी. एल. टी. की विफलता से पूर्वाग्रहित हो। यद्यपि तकनीकी रूप से न्यायाधिकरण इस प्रकृति के मामलों में "बेकार औपचारिकता सिद्धांत" का आह्वान करने में सही नहीं हो सकता है, हम निश्चित रूप से पूर्वाग्रह की परीक्षा को लागू कर सकते हैं, विशेष रूप से धोखाधड़ी के आरोपों की गंभीर प्रकृति के आलोक में, जिसके आधार पर कंपनी को समाप्त करने की मांग की जाती है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कंपनी को ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर या न्यायपूर्ण और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने की मांग की जाती है। यह धोखाधड़ी का मामला है और सभी हितधारक इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं

कार्यवाही और उन्होंने समापन कार्यवाही के समापन से पहले एक आई. सी. सी. मध्यस्थता पुरस्कार और 2 बी. आई. टी. पुरस्कारों को लागू करने में अत्यधिक तात्कालिकता दिखाई है। इसलिए, हम बनाए रखने में असमर्थ हैं

तर्क दिया कि एक विज्ञापन के प्रकाशन का आदेश देने में न्यायाधिकरण की विफलता ने पूरी कार्यवाही को गैरकानूनी बना दिया।

7.31 कंपनी (समापन) नियम, 2020 में प्रपत्रों की एक सूची है जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को जोड़ा जाना है। जबकि फॉर्म विन 1 कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंद करने के लिए याचिका का प्रारूप निर्धारित करता है और फॉर्म विन 2, विन 3 आदि निर्धारित करता है। कुछ अन्य चीजों के प्रारूप निर्धारित करें, फॉर्म विन 11 एक समापन क्रम के प्रारूप को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण कंपनी (समापन) नियम 2020 के नियम 17 (1) के तहत बाध्य है कि वह आवश्यक परिवर्तनों के साथ फॉर्म विन 11 में समापन के लिए आदेश तैयार करे। फॉर्म विन 11 की सामग्री के आधार पर, यह

अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि समापन याचिका के विज्ञापन का कागजी प्रकाशन अनिवार्य है।

7.32 फॉर्म विन 11 इस प्रकार हैः

फॉर्म जीत 11

[ नियम 17 (1) देखें]

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष

बेंच एट।

लिमिटेड के मामले में (कंपनी का नाम दें)

देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

आर. पी. ओ. आर. ए. एन. लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एम्पनी,

.....)

कंपनी याचिका सं./20।

..... ' याचिकाकर्ता

इससे पहले माननीय श्री.

दिनांकित।

ऑर्डर को बंद कर रहा है

की याचिका पर।

दिन में प्रस्तुत किया गया।

. 20 , यह सुनकर श्री.

.....याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि

सहायक लेनदारों (या योगदानकर्ताओं) के लिए श्री प्रतिनिधि

प्रतिनिधि के लिए

याचिका में श्री.

याचिका का विरोध करने वाले लेनदार (या योगदानकर्ता), और

कंपनी के प्रतिनिधि, पर

श्री.

उक्त याचिका को पढ़कर ए. बी. ने हलफनामा दायर किया

.....के दिन।

..... 20 उक्त की पुष्टि करना

याचिका, x. y. का शपथ पत्र, के दिन दायर किया गया। ..... ... .....20

..... (राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) का पेपर प्रकाशन उक्त याचिका का विज्ञापन यह न्यायाधिकरण आदेश देता हैः

* ( 1 ) कि उक्त कंपनी को इस न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया जाए

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान; और

( 2 ) कि अनंतिम परिसमापक या कंपनी परिसमापक मामला तुरंत कंपनी के परिसमापक के रूप में हो सकता है

सभी संपत्ति प्रभाव कार्रवाई योग्य दावों और पुस्तकों का प्रभार संभालें

और उक्त कंपनी के कागजात;

** ( 3 ) कि अनंतिम परिसमापक या कंपनी परिसमापक

इस आदेश की एक सीलबंद प्रति कंपनी को दिए जाने का कारण बने

पूर्व-भुगतान पंजीकृत पद;

( 4 ) कि याचिकाकर्ता चौदह दिनों के भीतर विज्ञापन देता है

इस तारीख से बनाने के निर्धारित रूप में एक सूचना इस क्रम के एक अंक (प्रत्येक) में. (यहाँ दर्ज करें

समाचार पत्र या समाचार पत्र जिसमें आदेश होना है

विज्ञापित);

( 5 ) कि उक्त याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रदान करता है

कंपनी पंजीयक पर इस तारीख से एक महीने के बाद नहीं

तारीख; और ( 6 ) कि उक्त याचिका की लागत का भुगतान परिसंपत्तियों से किया जाएगा

उक्त कंपनी से।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस दिन की तारीख

..... 20 .

( न्यायाधिकरण द्वारा)

पंजीयक

* जहाँ कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है वह एक बैंकिंग है कंपनी या बीमा कंपनी खंड (1) के अंत में जोड़ती है।

" और बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 'या' और बीमा

अधिनियम 1938 ", जैसा भी मामला हो।

** केवल वहाँ सम्मिलित किया जाना है जहाँ कंपनी याचिकाकर्ता नहीं है।

7.33 उपरोक्त फॉर्म विन 11 में एक संदर्भ है -

विज्ञापन, दो स्थानों पर। सबसे पहले, यह प्रारूप के प्रस्तावना भाग में पाया जाता है, जिसकी शुरुआत "याचिका पर" शब्दों से होती है। दूसरे स्थान पर, विज्ञापन का संदर्भ फॉर्म विन 11 के पैराग्राफ 4 में पाया जाता है। जबकि फॉर्म विन 11 की प्रस्तावना में संदर्भित विज्ञापन स्पष्ट रूप से याचिका के विज्ञापन से संबंधित है, विन 11 के पैराग्राफ 4 में संदर्भित विज्ञापन समापन के आदेश के विज्ञापन से संबंधित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समाप्त करने के लिए याचिका का विज्ञापन समाप्त करने के आदेश के विज्ञापन से अलग है।

7.34 जहाँ तक समापन के क्रम का विज्ञापन है

संबंधित, नियम 19 और 20 क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। कंपनी (समापन) नियम, 2020 के नियम 19 और 20 इस प्रकार हैं:

समापन आदेश देना या उसके बाद किसी भी समय न्यायाधिकरण के विज्ञापन के बारे में याचिकाकर्ता को निर्देश देगा

आदेश और वे व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन पर आदेश दिया जाएगा।

और वे व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें आगे की सूचना दी जाएगी।

परिसमापन में कार्यवाही और ऐसे आगे के निर्देश जो हो सकें

आवश्यक है।

20. आदेश का विज्ञापन। - अन्यथा द्वारा आदेशित के रूप में सहेजें

न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को बंद करने का आदेश

न्यायाधिकरण आदेश की तारीख के चौदह दिनों के भीतर होगा

याचिकाकर्ता द्वारा अंग्रेजी भाषा में एक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया

और स्थानीय भाषा में एक समाचार पत्र जो व्यापक रूप से प्रसारित होता है

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का पंजीकृत कार्यालय कंपनी स्थित है और याचिकाकर्ता द्वारा देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर सेवा प्रदान की जाएगी।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

ऐसा व्यक्ति, यदि कोई हो और इस तरह से जिसे न्यायाधिकरण निर्देशित करे और विज्ञापन फॉर्म विन 14 में होगा।

7.37 इस प्रकार प्रस्तावना में केवल कई मामलों की एक सूची है जिन्हें आदेश पारित करने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। बंद करने के लिए। जरूरी नहीं कि वे सभी वस्तुएं सभी मामलों में मौजूद हों। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां याचिका को सभी लेनदारों या अंशदाताओं द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां सभी लेनदारों या अंशदाताओं द्वारा याचिका का विरोध नहीं किया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावना में समापन याचिका का समर्थन या विरोध करने वाले लेनदारों के प्रतिनिधियों की सुनवाई का उल्लेख है। इसलिए, हम यह नहीं मान सकते कि केवल इसलिए कि फॉर्म विन-11 की प्रस्तावना में कुछ उल्लेख किया गया है, यह अनिवार्य हो जाता है।

8. सीमा

8.1 दूसरा आधार जिस पर विवादित आदेशों पर हमला किया जाता है, वह यह है कि धारा 271 (सी) के तहत याचिका को निराशाजनक रूप से प्रतिबंधित किया गया था

सीमा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 433 सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपील पर लागू करती है। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क है कि सीमा अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 137, जो एक

किसी भी आवेदन के लिए 3 साल की सीमा की अवधि जिसके लिए कहीं और कोई अवधि निर्धारित नहीं है, उस मामले पर लागू होती है। [2022] 11 एस. सी. आर. के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, इस प्रकार निर्धारित 3 वर्षों की अवधि।

धोखाधड़ी के मामलों में लैंट निर्धारित तिथि से चलने लगेंगे।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17। धारा 17 इस प्रकार है:

" 17. धोखाधड़ी या गलती का प्रभाव। — ( 1 ) जहाँ के मामले में

कोई वाद या आवेदन जिसके लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई है इस अधिनियम के द्वारा,

( अ)

मुकदमा या आवेदन धोखाधड़ी पर आधारित है

प्रतिवादी या प्रतिवादी या उसका एजेंट; या

अधिकार या शीर्षक का ज्ञान जिस पर एक मुकदमा या

( ख)

आवेदन को किसी ऐसे व्यक्ति की धोखाधड़ी से छुपाया जाता है जैसा कि ऊपर कहा गया है;

या

मुकदमा या आवेदन राहत के लिए है

( (ग)

गलती के परिणाम; या

( (घ)

जहाँ अधिकार स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक हो। वादी या आवेदक का धोखाधड़ी से किया गया है

उससे छुपा कर,

सीमा की अवधि वादी या आवेदक तक चलना शुरू नहीं होगी।

धोखाधड़ी या गलती का पता चला है या हो सकता है, उचित रूप से

परिश्रम, इसकी खोज की है; या एक छिपे हुए मामले में

दस्तावेज़, जब तक कि वादी या आवेदक के पास पहले साधन नहीं थे

छिपा हुआ दस्तावेज़ प्रस्तुत करना या उसे प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी वाद को सक्षम नहीं बनाएगी

किसी को पुनः प्राप्त करने या लागू करने के लिए स्थापित या आवेदन किया जाना

किसी भी संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी लेन-देन के खिलाफ आरोप, या अलग रखें

जो

( i) धोखाधड़ी के मामले में, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान विचार के लिए खरीदा गया है जो धोखाधड़ी में पक्षकार नहीं था और खरीद के समय उसे पता नहीं था, या विश्वास करने का कारण नहीं था कि कोई धोखाधड़ी की गई थी।

प्रतिबद्ध, या

( (ख)

गलती के मामले में, के लिए खरीदा गया है

बाद में उस लेन-देन के लिए मूल्यवान विचार जिसमें गलती की गई थी, एक व्यक्ति द्वारा जिसने किया था

पता नहीं है, या विश्वास करने का कारण नहीं है, कि गलती

बनाया गया था, या देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

( iii) किसी गुप्त दस्तावेज के मामले में, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान विचार के लिए खरीदा गया है जो छिपाने के लिए एक पक्ष नहीं था और, खरीद के समय यह नहीं जानता था, या विश्वास करने का कारण नहीं था कि दस्तावेज़ को छुपाया गया था।

( 2 ) जहाँ एक निर्णय-देनदार ने धोखाधड़ी या बल द्वारा रोका है।

सीमा अवधि के भीतर किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन,

न्यायालय, निर्णय के आवेदन पर-लेनदार बना सकता है

उक्त अवधि की समाप्ति के बाद निष्पादन की अवधि बढ़ा दी जाती है।

धोखाधड़ी की खोज की तारीख से एक वर्ष के भीतर या बल की समाप्ति, जैसा भी मामला हो "।

8.2 विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी का तर्क

अपीलार्थी के लिए यह है कि यह मानते हुए भी कि तथाकथित धोखाधड़ी उचित परिश्रम के साथ पता लगाने में असमर्थ थी, सीमा कम से कम धोखाधड़ी की वास्तविक खोज की तारीख से चलना शुरू हो जाएगी। धोखाधड़ी की वास्तविक खोज की तारीख को 11.08.2016 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो वह तारीख थी जिस पर अपराधी में आरोप पत्र दायर किया गया था। विशेष अदालत के समक्ष सी. बी. आई. द्वारा मामला। इसलिए, यह अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि समापन के लिए याचिका

कम से कम 10.08.2019 पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए था। हालाँकि, एंट्रिक्स ने प्राधिकरण के अनुदान के लिए केवल 14.01.2021 पर भारत सरकार को आवेदन किया। प्राधिकरण 18.01.2021 पर जारी किया गया था और समापन के लिए याचिका 18.01.2021 (उसी दिन) पर दायर की गई थी। इसलिए, जिग्नेश शाह और अन्न मामले में इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करना। बनाम भारत संघ और Anr.[1]4, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि समाप्त करने की याचिका को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, भले ही हम आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख को ही कथित धोखाधड़ी की जानकारी की तारीख के रूप में लें।

8.3 इससे पहले कि हम उपरोक्त तर्कों पर स्वतंत्र रूप से विचार करें,

जिस तरीके से राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीमा के प्रश्न से निपटा और अपीलार्थियों के खिलाफ उसी तरह का निर्णय लिया, उस पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

8.4 एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य (तकनीकी), अपने अलग लेकिन

पैराग्राफ से सीमा के सवाल से निपटने वाली सहमति वाली राय 14 ( 2019 ) 10 एससीसी 750 [2022] 11 एस. सी. आर.

2 13 तक। कुल मिलाकर, एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य (टी.) ने अभिनिर्धारित किया कि (i) एंट्रिक्स द्वारा कथित धोखाधड़ी कोई एकल कार्य नहीं था जो लेन-देन विशिष्ट था; (ii) कि बंद करने की याचिका धोखाधड़ी के कृत्यों की एक श्रृंखला पर आधारित थी, जिसका लंबे समय तक पता चला; (iii) कि हालांकि सी. बी. आई. ने 11.08.2016 पर पहला आरोप पत्र दायर किया, जो एक पूरक आरोप था।

आई. डी. 1 पर पत्र दायर किया गया था; (iv) कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी, केवल इस बात पर कि (v) इस प्रकार के मामलों में, धोखाधड़ी के कृत्यों की एक श्रृंखला के बीच धोखाधड़ी के पहले कार्य की खोज की तारीख को उस तारीख के रूप में नहीं लिया जा सकता है जिस पर सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के संदर्भ में आवेदन करने का अधिकार अर्जित किया गया हो।

8.5 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और इसमें कोई विकृति नहीं है। उपरोक्त दृष्टिकोण को पूरी तरह से कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, हम इस मुद्दे से स्वतंत्र रूप से निपटेंगे, ताकि सीमा के मिथक को दूर किया जा सके। 8.6 कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधान, दुर्भाग्य से विभिन्न तिथियों पर लागू हुए, क्योंकि धारा 1 (3) के तहत केंद्र सरकार को विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित करने के लिए लाभ दिया गया था। धारा 270 प्रदान करती है

न्यायाधिकरण द्वारा परिसमापन के लिए, धारा 271 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को परिसमापन किया जा सकता है और धारा 272 परिसमापन के लिए याचिका की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है,

चूंकि वे मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 में अधिनियमित किए गए थे, वे कभी भी लागू नहीं हुए, क्योंकि इन तीन प्रावधानों के संबंध में अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

8.7 हालाँकि, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम 31) को 28.05.2016 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस संहिता की धारा 255 ने घोषणा की कि कंपनी अधिनियम, 2013 कायम रहेगा। संहिता की 11 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 270 से 272 के मौजूदा प्रावधानों को आई. बी. सी. की धारा 255 के साथ पठित 11 वीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अनुभाग

255 आई. बी. सी. का प्रावधान एस. ओ. 3453 (ई) दिनांक 15.11.2016 के माध्यम से <आई. डी. 1 पर लागू हुआ। नतीजतन कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन वाली 11 वीं अनुसूची भी 15.11.2016 पर लागू हुई। धारा 270,271 और 272, जो आज भी हैं, परिणामस्वरूप 15.11.2016 पर लागू हुई।

8.8 इसके विपरीत, आई. बी. सी. की धारा 4 से 32 के प्रावधान एस. ओ. 3594 (ई) दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से 1.12.2016 पर लागू हुए।

प्रावधान देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित अनुभागों में पाए जाते हैं 6 आई. बी. सी. 2016 के 32 तक। आई. बी. सी. 2016 की धारा 7,9 और 10 में क्रमशः वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार और निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है।

8.9 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434, जैसा कि मूल रूप से था

अधिनियम के लागू होने की तारीख को विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित कुछ कार्यवाहियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान किया गया। धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में समापन कार्यवाही को न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यायाधिकरण को उनके स्थानांतरण से पहले उन कार्यवाही से निपटने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। आई. बी. सी. 2016 ने 11 वीं अनुसूची के माध्यम से धारा 434 में एक नए प्रावधान को प्रतिस्थापित किया। यद्यपि नव निगमित धारा 434 में भी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

समापन कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए उप-धारा (1) का खंड (सी)

उच्च न्यायालय से न्यायाधिकरण को इस तरह का हस्तांतरण कुछ प्रतिबंधों के अधीन किया गया था। उन प्रतिबंधों में से एक यह था कि केवल वे कार्यवाही जो समापन से संबंधित हैं जो एक स्तर पर हैं जो हो सकता है केंद्र सरकार द्वारा विहित, जिसे न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध धारा 434 (1) के पहले परंतुक में पाया जाता है।

8.10 इसलिए, केंद्र सरकार ने नियमों का एक सेट जारी किया

कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016 के रूप में जाना जाता है। ये नियम (नियम 4 को छोड़कर जो स्वैच्छिक समापन से संबंधित है) आए।

15.12.2016 से प्रभावी। इन नियमों के नियम 5 में उस चरण को निर्धारित किया गया है जिस पर 1956 के अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत समाप्त करने की याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी तरह नियम 6 उस चरण को निर्धारित करता है जिस पर 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (ए) और (एफ) के तहत दायर की गई समापन याचिकाओं को स्थानांतरित किया जा सकता है।

8.11 उपरोक्त चर्चा से ध्यान देने योग्य बात यह है कि

जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 270 से 272 तक

( (i)

आई. बी. सी. की धारा 7,9 और 10 1.12.2016 पर लागू हुई और इससे संबंधित नियम

स्थानांतरण कार्यवाही 15.12.2016 पर लागू हुई; और

( (ख)

कंपनियों के तहत क्या प्रावधान किया गया है (का हस्तांतरण)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 और आई. बी. सी. 2016 की धारा 239 के साथ पठित लंबित कार्यवाही) नियम, 2016 समाप्त करने के लिए याचिकाओं की केवल तीन श्रेणियों का हस्तांतरण है, जो 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (ए), (ई) और (एफ) के तहत आती हैं।

8.12 उपरोक्त वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, आइए अब देखें कि जिग्नेश शाह (उपरोक्त) में क्या हुआ, जिस पर भारी निर्भरता है।

रखा गया है। जिग्नेश शाह में, एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट

हर्जाने के लिए एक वैकल्पिक दावे के साथ, आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा 19.06.2013 पर इस आधार पर दायर किया गया था कि कार्रवाई का कारण, अर्थात् समझौते के तहत प्रतिबद्धता का सम्मान करने से इनकार 16.08.2012 पर उत्पन्न हुआ था। मुकदमे की स्थापना की तारीख से दो साल से अधिक समय के बाद और कार्रवाई के कारण के उद्भव की तारीख के रूप में शिकायत में उल्लिखित तारीख से तीन साल से अधिक समय के बाद, मुकदमे में वादी ने एक वैधानिक नोटिस जारी किया। 1956 के अधिनियम की धारा 433 और 434 के तहत, 3.11.2015 पर। प्रतिवादी से जवाब प्राप्त होने के बाद, 1956 के अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे में वादी द्वारा समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। समापन के लिए इस याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था

एन. सी. एल. टी., कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के संदर्भ में कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016 के नियम 5 के साथ पढ़ा गया। एन. सी. एल. टी. ने बंद करने की याचिका को धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के लिए एक याचिका के रूप में माना। एक वित्तीय लेनदार द्वारा आई. बी. सी. और याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया। प्रवेश के आदेश को असफल रूप से चुनौती दी गई थी

एन. सी. एल. ए. टी., जिसके बाद, मामला इस न्यायालय के समक्ष आया। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिया गया विचार यह था कि चूंकि आई. बी. सी. 2016 की धारा 7 1.12.2016 पर लागू हुई थी, इसलिए समापन याचिका सीमा की अवधि के भीतर थी। यह एन. सी. एल. ए. टी. का यह दृष्टिकोण था जिसे जिग्नेश शाह में इस अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए रखा गया था।

8.13 संक्षेप में, जिग्नेश शाह 1956 के अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत एक थे, जो एक कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता से संबंधित थी। इसलिए, जब तक कि ऋण कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण नहीं था, जिस तारीख को समापन के लिए याचिका दायर की गई थी, तब तक समापन के लिए कोई याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी। यदि इस तरह के ऋण की वसूली के लिए एक मुकदमा पहले से ही समय पर प्रतिबंधित था, तो यह कहना असंगत है कि इस तरह के ऋण के संबंध में समापन के लिए एक याचिका बनाए रखने योग्य थी। इसलिए, जिग्नेश शाह में लागू किया गया परीक्षण नया नहीं था, बल्कि इतना स्पष्ट था। वास्तव में, जिस तारीख को जिग्नेश शाह में बॉम्बे हाईकोर्ट की फाइल पर समापन के लिए याचिका दायर की गई थी, उस तारीख को हर्जाने के वैकल्पिक दावे के साथ अनुबंध को लागू करने के लिए दीवानी मुकदमा लंबित था। यदि वादी ने मुकदमे में एक डिक्री की प्रतीक्षा की होती और उसके बाद डिक्री के आधार पर समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की होती, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (बी) लागू हो जाती और समापन याचिका देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती थी।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

समय पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिग्नेश शाह में रखा गया है। चूंकि वाद में वादी ने वाद के लंबित रहने के दौरान भी समाप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, इसलिए धारा 434 (1) (ए) के संदर्भ में दीवानी वाद में उल्लिखित कार्रवाई के मूल कारण के आधार पर सीमा को स्वाभाविक रूप से गिना जाना था। 8.14 जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का हस्तांतरण) नियम, 2016 के साथ पठित 2013 के अधिनियम की धारा 434 केवल समापन के लिए तीन प्रकार की कार्यवाहियों के संबंध में लागू होती है, अर्थात् (i) 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अंतर्गत आने वाले ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर कार्यवाही; (ii) धारा के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले विशेष संकल्प द्वारा कंपनी द्वारा स्वयं शुरू की गई कार्यवाही।

8.15 जैसा कि हमने ऊपर अध्याय 6 में देखा है, धोखाधड़ी को 1956 के अधिनियम की धारा 433 में उन नौ परिस्थितियों में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया था जिनमें किसी कंपनी को बंद किया जा सकता है। 1956 की वैधानिक व्यवस्था के तहत, समाप्त करने के लिए एक याचिका, भले ही एक जांच रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई हो

धारा 243 और धारा 439 (1) (च) के साथ पठित धारा 237 (ख) के तहत, धारा 433 (च) के तहत केवल न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर होना आवश्यक था। इसलिए, जिस तारीख को आई. बी. सी. लागू हुआ, यदि धारा 433 (ई) या (एफ) के तहत समापन के लिए कोई याचिका लंबित थी, तो यह उत्तरदायी था - कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016 के साथ पठित 2013 अधिनियम की धारा 434 के आधार पर एनसीएलटी को हस्तांतरित किया गया।

8.16 लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, धारा 271 (सी) में तीन अलग-अलग प्रकार की धोखाधड़ी को समाप्त करने की परिस्थितियों के रूप में शामिल किया गया है।

एक कंपनी। इस तरह का समापन न्यायसंगत और न्यायसंगत से स्वतंत्र है।

जमीन। इसलिए, ऋण का भुगतान करने में असमर्थता या न्यायपूर्ण और न्यायसंगत आधार पर समापन के लिए लागू मापदंडों को धोखाधड़ी के मामले में अंधाधुंध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। 8.17 एंट्रिक्स, जिसने समापन की कार्यवाही शुरू की, न तो एक वित्तीय लेनदार है और न ही एक परिचालन लेनदार और न ही एक कॉर्पोरेट आवेदक है।

यही कारण है कि एंट्रिक्स आई. बी. सी. के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नहीं गया है और न ही जा सकता है, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) का सहारा लिया है। इसलिए जिग्नेश शाह में अनुपात, के रूप में

उन ऋणों पर लागू होता है, जिनकी वसूली को किसी भी मामले में समाप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू करने की तारीख पर समय बाधित नहीं किया जाना चाहिए था। दिवाला समाधान प्रक्रिया, हाथ में मामले के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.18 यह सीमा के कानून के लिए मौलिक है कि सीमा उपचार को समाप्त कर देती है न कि अधिकार को। यदि ऋण की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का उपाय कानून द्वारा समाप्त हो जाता है

सीमा, लेनदार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) का उपयोग नहीं कर सकता है। इसी आधार पर इस अदालत ने जिग्नेश शाह पर फैसला सुनाया।

8.19 जिग्नेश शाह के बाद, यह अदालत विभिन्न मामलों में सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 और 18 को लागू करने से संबंधित थी। शेष नाथ सिंह बनाम। बैद्यबती शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड 1 5, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 और 18 मामलों पर लागू होंगी।

आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत दायर किया गया। पुनः लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इस न्यायालय ने कहाः सीमा अधिनियम की धारा 18 हर बार तब लागू होगी जब प्रमुख उधारकर्ता और/या कॉर्पोरेट गारंटर (कॉर्पोरेट देनदार), जैसा भी मामला हो, ऋण का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, इस तरह की स्वीकृति सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए, जिसमें सीमा की नई अवधि भी शामिल है। संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही की स्थापना के लिए समय-समय पर ऋण की स्वीकृति।

8.20 इसके बाद, यह सवाल सामने आया कि क्या कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टियां सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत देयता की स्वीकृति के बराबर होंगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी बनाम बिशाल जयसवाल 1 में विचार। बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के बाद। इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़ 1 8, इस न्यायालय ने बिशाल जैसवाल (i) में अभिनिर्धारित किया कि "हालांकि तुलनपत्र दाखिल करना कानून की मजबूरी से है, ऋण की स्वीकृति आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है; और (ii) कि तुलनपत्र में की गई प्रविष्टियां निम्न के बराबर होंगीः

दायित्व की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ऐसी प्रविष्टि किसी विशेष लेनदार के लिए स्पष्ट है या इसमें प्रवेश किया गया है।

उन नोटों के रूप में चेतावनी के साथ जो ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न हैं या उनका हिस्सा हैं "

8.21 उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है कि सीमा हमेशा गन पाउडर की ट्रेन के लिए एक जली हुई माचिस की छड़ी के समान नहीं होती है। तारीख 15 ( 2021 ) 7 एस. सी. सी. 313

17 ( 2021 ) 6 एस. सी. सी. 366

18 एयर 1962 कैल 115 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

आवश्यक नहीं है कि अवधि की शुरुआत स्थिर हो। प्रारंभ की तारीख उस पक्ष की ओर से चूक और कमीशन के कार्यों के आधार पर बदलती रह सकती है जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। चूक और कमीशन के ये कार्य तथ्यों के समूह का गठन करते हैं, जो इस सवाल को निर्धारित करते हैं कि क्या कोई कार्रवाई सीमा द्वारा वर्जित है या नहीं।

8.22 जैसा कि हमने कहीं और बताया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) में वर्णित धोखाधड़ी की रूपरेखा में तीन शामिल हैं। पहलू अर्थात्, (i) कंपनी के कार्य एक में संचालित किए जा रहे हैं

धोखाधड़ी के तरीके से; (ii) कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था; और (iii) इसके मामलों के गठन और प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी, कदाचार या धोखाधड़ी के दोषी रहे हैं। उसके संबंध में दुराचार। जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा ठीक ही बताया गया है, चूक या कमीशन का एक एकल कार्य धोखाधड़ी का गठन कर सकता है और यहां तक कि कार्यों की एक श्रृंखला धोखाधड़ी का गठन कर सकती है। एक धोखाधड़ी का कार्य उस धोखाधड़ी के तरीके से अलग हो सकता है जिसमें एक कार्य किया जाता है। "धोखाधड़ी के तरीके से एक कंपनी के मामलों का संचालन" शब्द इंगित करते हैं कि प्रक्रिया निरंतर थी। यदि धोखाधड़ी से कंपनी के मामलों का संचालन एक निरंतर प्रक्रिया है,

आवेदन करने का अधिकार आवर्ती हो जाता है। 8.23 हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि परिसमापन में कंपनी के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों के अलावा,

एंट्रिक्स के अधिकारियों के साथ-साथ अंतरिक्ष विभाग के अधिकारियों पर अब न केवल धारा 420 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी। 25.02.2011 पर अनुबंध की समाप्ति धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप से शुरू नहीं हुई थी। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का पता बाद में ही चला और जब तक खोज की गई, तब तक धोखाधड़ी का फल प्राप्त करने के प्रयास चरम पर पहुंच गए थे। ये प्रयास आज तक जारी हैं और यह पूरी तरह से धारा 271 (सी) के अंतर्गत आता है। इसलिए, यह तर्क कि याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और हमारे पास इसे लेने का कोई कारण नहीं है।

अलग नज़रिया।

9. एस्टोपेल

9.1 विवादित आदेशों पर हमले का अगला आधार यह है कि एंट्रिक्स को धोखाधड़ी का अनुरोध करने और [2022] 11 एस. सी. आर. में देवास को समाप्त करने की मांग करने से रोक दिया गया है।

इस तथ्य का दृष्टिकोण, (i) कि 28.01.2005 दिनांकित समझौते का समाप्ति पत्र धोखाधड़ी के आधार पर नहीं था, बल्कि

(ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में धोखाधड़ी का कोई आरोप कभी नहीं लगाया गया था; और (iii) इन सभी वर्षों के लिए एंट्रिक्स की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एक बयान था कि एंट्रिक्स पर कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी।

9.2 अपीलार्थियों का तर्क है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के तहत, धोखाधड़ी द्वारा दूषित एक समझौता अमान्य नहीं है, बल्कि केवल उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जो पीड़ित है और इसलिए एंट्रिक्स की विफलता, (i) धोखाधड़ी के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने में और/या (ii) मध्यस्थता कार्यवाही के बचाव के रूप में धोखाधड़ी स्थापित करने के लिए। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्टों में लेखा परीक्षक के बयान, कि एंट्रिक्स पर कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी, बहिष्कार की एक वैध याचिका को जन्म देगा।

9.3 वास्तव में, अपीलकर्ता यह इंगित करने में सही हैं कि 28.01.2005 दिनांकित समझौते को केवल बल आकस्मिक खंड का आह्वान करके 25.02.2011 दिनांकित पत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया था और यह धोखाधड़ी स्थापित नहीं की गई थी मध्यस्थता कार्यवाही में बचाव के रूप में। अपीलार्थी एंट्रिक्स की दिनांकित लेखा परीक्षक की रिपोर्टों से इंगित करने में भी तथ्यात्मक रूप से सही हैं।

15.09.2012 , 19.07.2016 , 24.07.2017 , 19.06.2020 आदि, कि लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाणन किया गया था कि लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2012 के अनुलग्नक में, लेखा परीक्षकों ने कहा हैः

" हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

9.4 इसी तरह, 19.07.2016 की वार्षिक रिपोर्ट में, 2015-16 के लिए, लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित रूप में सूचित किया गया थाः

" जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं किया गया है।

9.5 ऊपर निकाले गए बयान के समान एक बयान, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2017 में भी मिलता है, जो वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 का हिस्सा है।

9.6 यहां तक कि अनुलग्नक-बी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2020 में भी लेखा परीक्षकों ने इस प्रकार एक बयान दिया हैः

" कंपनी या उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है या वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी या धोखाधड़ी नहीं देखी गई है। तदनुसार, के प्रावधान उक्त आदेश का खंड 3 (x) लागू नहीं होता है।

9.7 कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 के खंड (xi) के तहत, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) में कहा गया है कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एक विवरण होना चाहिए कि क्या वर्ष के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है और यदि ऐसा है, तो इसमें शामिल प्रकृति और राशि।

9.8 लेकिन सवाल यह है कि क्या उपरोक्त सभी एंट्रिक्स के खिलाफ अवरोध के अनुमान का कारण बनेंगे। तथ्य यह है कि समझौता

9.9 इसी कारण से, आई. सी. सी. मध्यस्थता कार्यवाही में धोखाधड़ी का अनुरोध करने में एंट्रिक्स की विफलता भी अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकती है। द. मध्यस्थता कार्यवाही वर्ष 2013 में शुरू हुई और पुरस्कार स्वयं 14.09.2015 पर पारित किया गया था। धोखाधड़ी का पता चलने से पहले भी एंट्रिक्स से मध्यस्थता कार्यवाही में धोखाधड़ी का अनुरोध करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

9.10 चार्टर्ड एकाउंटेंट/ऑडिटर न तो आपराधिक कानून में विशेषज्ञ हैं और न ही उस तकनीक में जो इस विषय का गठन करती है।

एंट्रिक्स और देवास के बीच समझौता। सनदी लेखाकारों का विवरण हमेशा कुछ निश्चित आधारों के साथ योग्य होता है जैसे कि "हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार" या "हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण "।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9.11 वास्तव में, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 जो

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 2016 में एक अन्य आदेश जारी किया गया था। धारा 143 (12) लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी विशेष आयाम की धोखाधड़ी का अपराध किया जा रहा था। धारा 143 की उप-धारा (13) भी लेखा परीक्षकों को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यदि यह सद्भावना से किया जाता है। धारा 143 की उप-धारा (12) और (13) निम्नानुसार हैः

" 143. लेखा परीक्षकों की शक्तियाँ और कर्तव्य और लेखा परीक्षा मानक।

XXXX

XXXX

XXXX

( 12 ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि - अपने प्रदर्शन के दौरान एक कंपनी के लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्य, यह मानने का कारण है कि धोखाधड़ी का अपराध

जिसमें ऐसी राशि या राशियाँ शामिल हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं,

या कंपनी में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है,

लेखा परीक्षक केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट करेगा।

ऐसा समय और ऐसी रीति से जो विहित की जाएः

बशर्ते कि उससे कम धोखाधड़ी के मामले में

निर्दिष्ट राशि पर लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा को मामले की रिपोर्ट करेगा।

धारा 177 के तहत गठित समिति या अन्य मामलों में बोर्ड ऐसे समय के भीतर और इस तरह से मामले जो निर्धारित किए जाएंः

बशर्ते कि वे कंपनियाँ, जिनके लेखा परीक्षकों ने

इस उप-धारा के तहत लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी की सूचना दी गई या

बोर्ड लेकिन केंद्र सरकार को सूचित नहीं करता है, खुलासा करेगा

बोर्ड की रिपोर्ट में इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में विवरण

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

( 13 ) ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जिसके अधीन किसी कंपनी का लेखा परीक्षक हो।

माना जाएगा कि उसके कारण उल्लंघन किया गया है उप-धारा (12) में निर्दिष्ट मामले की सूचना देना यदि इसमें किया गया है -

अच्छा विश्वास "।

9.12 यदि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक निम्नलिखित के संदर्भ में एक रिपोर्ट बनाने में विफल रहते हैं -

धारा 143 (12), धोखाधड़ी के बारे में जानकारी होने के बावजूद, वे धारा 448 के तहत दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447। लेकिन लेखा परीक्षकों की विफलता देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

धारा 143 (12) द्वारा आवश्यक या धारा 143 (11) के तहत जारी आदेश द्वारा आवश्यक रिपोर्ट बनाना, कंपनी के खिलाफ अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकता है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को न तो सुसमाचार सत्य के रूप में लिया जा सकता है और न ही कंपनी के खिलाफ अवरोध के रूप में कार्य किया जा सकता है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बयान, उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार या उनकी क्षमता के अनुसार ली गई जानकारी के अनुसार होता है।

9.13 निरोध की याचिका उठाने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 पर दी गई निर्भरता पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 केवल एक प्रकार की धोखाधड़ी से संबंधित है, अर्थात्:

एक समझौते के लिए अपनी सहमति प्राप्त करने के लिए एक पक्ष पर धोखाधड़ी की गई। धारा 19 इन शब्दों से शुरू होती है "जब किसी समझौते के लिए सहमति होती है

जबरदस्ती, धोखाधड़ी के कारण। " किसी समझौते के लिए किसी पक्ष की सहमति को प्रेरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी के अलावा अन्य धोखाधड़ी धारा 19 के दायरे में नहीं आती हैं। वास्तव में, धारा 17 के तहत धोखाधड़ी की परिभाषा भी केवल एक अनुबंध के लिए एक पक्ष द्वारा किए गए कुछ कार्यों तक ही सीमित है। ऐसे मामले हैं जहां एक पक्ष गैर-संविदाकारी पक्षों पर या सरकार पर या अदालतों पर भी धोखाधड़ी कर सकता है। यह सिद्धांत कि धोखाधड़ी सभी गंभीर कृत्यों को दूषित करती है, स्वयं ही निरर्थक हो जाएगा, यदि धोखाधड़ी की समझ केवल अनुबंध के दायरे तक ही सीमित है।

धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन; (ii) कंपनी के मामलों के संचालन में धोखाधड़ी; और (iii) उन व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी जो गठन और/या धोखाधड़ी में शामिल थे। कंपनी के मामलों का प्रबंधन। धोखाधड़ी से संबंधित

समझौता, पूरी योजना का केवल एक पहलू है। इसलिए, हमें अनुबंध अधिनियम की धारा 19 से परे जाना होगा।

9.15 वास्तव में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत स्पष्टीकरण (i) भी धोखाधड़ी को परिभाषित करता है, लेकिन धारा 447 के उद्देश्यों के लिए। क्या?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) एक ऐसी धोखाधड़ी है जो अनुबंध के दायरे से परे या कंपनी अधिनियम, 2013 के दंडात्मक प्रावधानों के दायरे में आती है। इसलिए यह तर्क है कि

एंट्रिक्स को धोखाधड़ी का अनुरोध करने से हटा दिया गया था, न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

10. प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने से इनकार

10.1 अपीलार्थियों द्वारा विवादित आदेशों पर हमले का एक और आधार यह है कि धोखाधड़ी के आरोप का आधार कथन [2022] 11 एस. सी. आर. था।

कि देवताओं ने उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने की पेशकश की जो समझौते के निष्पादन की तारीख और इसकी समाप्ति की तारीख दोनों पर अस्तित्व में नहीं थीं और कि देवता भी असमर्थ थे और उनके पास ऐसे उपकरण/सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमति/अनुमोदन नहीं थे।

यह तर्क देते हुए कि प्रौद्योगिकी के अस्तित्व/उपलब्धता का सवाल दोनों पक्षों द्वारा कई हलफनामे दायर करने के साथ एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, देवास ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें क्रॉस करने की अनुमति मांगी गई है।

एंट्रिक्स के अधिकारियों की जाँच करें। इस आवेदन को कंपनी की मुख्य याचिका के साथ लिया गया था। समाप्त करने का आदेश देते हुए, एक अंतिम आदेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा, NCLT ने यह मानते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि मामले में किसी मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के आधार के ज्ञापन में, अपीलकर्ताओं ने एक विशिष्ट आधार उठाया कि न्यायाधिकरण की ओर से प्रतिपरीक्षा का अवसर देने में चूक ने अंतिम परिणाम को दूषित कर दिया। लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा। 10.2 इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि (i) धोखाधड़ी के आरोप, एक नियम के रूप में, एक पूर्ण परीक्षण और सबूत की गारंटी देते हैं; (ii) सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के विशिष्ट बार के आलोक में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 430, एन. सी. एल. टी. धोखाधड़ी के आरोपों को बहुत सावधानी से स्कैन करने के लिए बाध्य थी, जिसमें पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई थी; (iii) कि न्यायाधिकरण को वही शक्तियां प्रदान की गई हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की संहिता के तहत एक दीवानी न्यायालय में निहित हैं।

न्यायाधिकरण के पास किसी भी गवाह की उपस्थिति को बुलाने, शपथ पर उससे जिरह करने और यहां तक कि गवाहों की जांच के लिए आयोग जारी करने की शक्ति है; और (v) कि न्यायाधिकरणों ने धोखाधड़ी के गंभीर आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करने में केवल शपथ पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर कानून की घोर त्रुटि की है। रिलायंस को इस संबंध में अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और Ors.[19] में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। स्वेन्स्का हैंडल्सबैंकेन बनाम भारतीय चार्ज क्रोम और अन्य। 20 और वी. रवि कुमार बनाम राज्य, प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सलेम और Ors.21 द्वारा

19 ( 2006 ) 6 एससीसी 94

20 ( 1994 ) 1 एस. सी. सी. 502

21 ( 2019 ) 14 एस. सी. सी. 568 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

संबंधित, यह विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न हुआ। उन कार्यवाही में से एक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के तहत थी जो "कुछ हद तक संक्षिप्त प्रकृति" थी। इसलिए यह उस संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने कहा कि जब एक गंभीर रूप से विवादित प्रश्न स्वामित्व उत्पन्न होने पर, कंपनी न्यायालय को पक्षकारों को दीवानी मुकदमे के लिए खारिज कर देना चाहिए। लेकिन यह स्वीकार करने के बाद कि कंपनी अधिनियम की धारा 430 के तहत, दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है, अपीलार्थियों के लिए यह कहने के लिए इस निर्णय पर भरोसा करने के लिए खुला नहीं है कि पक्षों को दीवानी अदालत में भेजा जा सकता है।

10.4 इसी तरह वी. रवि कुमार (उपरोक्त) में निर्णय, धारा 482 Cr.P.C के तहत आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें दूसरे को रद्द करने के लिए कहा गया था।

शिकायत, पहली शिकायत वापस लेने के बाद। उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप, जो प्रथम दृष्टया आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध हैं, मुकदमे के समय साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किए जाने चाहिए।

10.5 इस प्रकार अपीलार्थियों द्वारा वाहन चलाने के लिए निर्णयों पर भरोसा किया गया

10.6 न्यायाधिकरण ने एंट्रिक्स द्वारा लगाए गए आरोपों को आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कुल मिलाकर और सार में, वे (i) एक गैर-मौजूद तकनीक की पेशकश; (ii) एक उपकरण पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के कब्जे के बारे में गलत निरूपण; (iii) एसएटीसीओएम नीति का उल्लंघन; (iv) धोखाधड़ी से एक प्रयोगात्मक लाइसेंस प्राप्त करना; (v) कार्यवृत्त में हेरफेर; और (vi) एफआईपीबी अनुमोदनों के माध्यम से लाए गए धन के निशान के इर्द-गिर्द घूमते हैं। 10.7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिकोण से धोखाधड़ी के आरोपों की नींव बनाने वाले सभी दावे केवल दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् (i) सकारात्मक दावे जिन्हें साबित करने के लिए उन दावों को करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है; और (ii) नकारात्मक दावे।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.8 एक पक्ष जो किसी चीज़ के अस्तित्वहीन होने का आरोप लगाता है, उसे अस्तित्वहीन साबित करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। यह वह पार्टी है जो दावा करती है कि

अस्तित्व या जो अस्तित्वहीन होने के दावे को चुनौती देता है, जो उसी के अस्तित्व को साबित करने के लिए उत्तरदायी है।

10.9 हाथ के मामले में, एंट्रिक्स ने जोर देकर कहा कि देवास ने एक ऐसे उपकरण के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पेशकश की जो अस्तित्व में नहीं थीं।

यह भी कि उपकरण पर तथाकथित बौद्धिक संपदा अधिकार भी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, जाहिर है कि एंट्रिक्स नेतृत्व नहीं कर सकता है

मौखिक साक्ष्य द्वारा या उनके अधिकारियों को देवताओं द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन करके उन चीजों के अस्तित्व या अनुपलब्धता को दिखाने के लिए साक्ष्य। देवताओं ने कभी भी न्यायाधिकरण के समक्ष कोई उपकरण प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने देव सेवाओं की उपलब्धता का प्रदर्शन किया। देवता केवल एंट्रिक्स के अधिकारियों की प्रतिपरीक्षा चाहते थे। एंट्रिक्स के अधिकारियों की किसी भी तरह की प्रतिपरीक्षा से किसी ऐसी चीज के अस्तित्व को स्थापित नहीं किया जा सकता था जिस पर एंट्रिक्स ने विवाद किया था।

10.10 यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि क्रॉस परीक्षा के लिए आवेदन देवास द्वारा 5.5.2021 पर प्रस्तुत किया गया था। मुख्य याचिका स्वयं 30.04.2021 पर शुरू हुई थी और एंट्रिक्स की तरफ 3.05.2021 पर समाप्त हुई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन द्वारा दायर तिथियों की सूची से पता चलता है कि 19.01.2021 पर, NCLT ने कंपनी की याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया और एक

अस्थायी परिसमापक। वास्तव में यह आदेश कंपनी की आपत्तियों को सुनने के बाद पारित किया गया था। प्रवेश के आदेश के खिलाफ, डी. ई. एम. पी. एल. ने एक दायर किया

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील करें। लेकिन इसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 11.02.2021 पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें डी. ई. एम. पी. एल. को अभियोग के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता थी। डी. ई. एम. पी. एल. ने 2.03.3021 पर अभियोग लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की

केंद्र सरकार द्वारा एंट्रिक्स को दिए गए प्राधिकरण के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 (3) के साथ पठित धारा 272 (1) (ई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना। कई तारीखों पर व्यापक दलीलें सुनने के बाद, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए रुपये की लागत के साथ एक आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद ही कंपनी की याचिका को एन. सी. एल. टी. द्वारा लिया गया और एंट्रिक्स की ओर से दलीलें सुनी गईं और 30.04.2021 और 3.05.2021 पर निष्कर्ष निकाला गया।

10.11 जब कंपनी की याचिका को देवास की ओर से बहस के लिए 5.05.2021 पर स्थगित कर दिया गया, तो देवास द्वारा एक दो-आयामी रणनीति अपनाई गई। पहला यह था कि डी. ई. एम. पी. एल. को देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष एक रिट अपील दायर करनी थी।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

उपरोक्त प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ। इसके साथ ही, देवास ने एंट्रिक्स के प्रबंध निदेशक और वित्त निदेशक से जिरह करने के लिए 5.05.2021 पर एक आवेदन दायर किया। हालांकि, देवास ने भी मुख्य कंपनी में अपनी दलीलें जारी रखी। याचिका दायर की और उसी को 10.05.2021 पर समाप्त किया। 10.05.2021 पर, NCLT ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

10.12 संयोग से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी. ई. एम. पी. एल. द्वारा दायर रिट अपील, डी. ई. एम. पी. एल. की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी।

12.05.2021 पर कर्नाटक का उच्च न्यायालय। डिवीजन बेंच ने मामले को 19.05.2021 पर इस शर्त के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए खर्च का भुगतान उक्त तिथि को या उससे पहले किया जाना चाहिए। 10.13 25.05.2021 पर, NCLT ने अंतिम आदेश पारित किए, जिसके बाद DEMPL ने 27.05.2021 पर रिट अपील वापस ले ली।

10.14 उपरोक्त समय-रेखा से यह स्पष्ट है कि क्रॉस-परीक्षा के लिए आवेदन देवों द्वारा निष्कर्ष के बाद स्थानांतरित किया गया था।

मुख्य याचिका में ही एंट्रिक्स के पक्ष में दलीलों की, और वह भी वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर हमला करने के लिए इसके एक शेयरधारक द्वारा किए गए असफल प्रयास के बाद। इसलिए, न्यायाधिकरण ने प्रतिपरीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार करने में सही था।

11. शेयरहोल्डर्स की लोकस स्थिति

डी. ई. एम. पी. एल. जो स्वीकृत छुट्टी के अनुसार शेयरधारकों में से एक है। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा, मुख्य कंपनी याचिका के साथ लिया गया और अंततः मुख्य कंपनी याचिका के साथ खारिज कर दिया गया। इसलिए, डी. ई. एम. पी. एल. ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक स्वतंत्र अपील दायर की। दुर्भाग्य से, एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य (न्यायिक) ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि (i) शेयरधारकों के अधिकार निदेशकों के चुनाव, कंपनी की बैठकों में मतदान, लाभांश के वितरण और परिसमापन पर अधिशेष के वितरण तक सीमित हैं; और (ii) परिसमापन में कंपनी ने अपने पूर्व निदेशक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में अपील दायर की है।

2 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.2 इसलिए, राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। पी. आर. रामकृष्णन और Ors.22, यह है

यह तर्क दिया गया कि यह निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक मान्यता प्राप्त सिद्धांत के विपरीत होगा और ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का उल्लंघन होगा जो प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, शेयरधारकों को उनके हित को प्रभावित करने वाले आदेश से पहले सुनवाई के अधिकार से वंचित करना।

11.3 यह सच है कि बंद करने की याचिका धारा 271 (सी) के तहत दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि (i) कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी से संचालित किया गया है; (ii) कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था; और (iii) कि इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी के दोषी रहे हैं।

लेकिन अधिनियम या नियमों में किसी भी शेयरधारक को याचिका के प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी (समापन) नियम 2020 के नियम 3 (1) में समापन के लिए एक याचिका की आवश्यकता होती है जो फॉर्म विन 1 या फॉर्म विन 2 में हो। इन प्रपत्रों पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि किसी को भी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि

11.4 दिलचस्प बात यह है कि एंट्रिक्स ने 14.01.2021 पर धारा 272 (1) (e) के तहत प्राधिकरण की मांग की और केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी 18.01.2021 पर प्राधिकरण। उसी दिन, समापन के लिए याचिका

दाखिल किया गया। जब एन. सी. एल. टी. द्वारा पहली बार 19.01.2021 पर याचिका पर विचार किया गया, तो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो परिसमापन में कंपनी है, वकील के माध्यम से पेश हुई और याचिका का विरोध किया और

जवाब दाखिल करने के लिए भी पर्याप्त समय मांगा। इसलिए, एन. सी. एल. टी. को प्रवेश से पहले आदेश नोटिस की औपचारिकता से नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि देवास की ओर से पेश हुए वकीलों ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई और जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा। न्यायाधिकरण ने दिनांकित एक विस्तृत आदेश पारित किया

19.01.2021 कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए भी कंपनी की याचिका को स्वीकार करना और एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त करना। दिनांकित 19.01.2021 के विस्तृत आदेश के पैराग्राफ 5 में, कंपनी की याचिका को स्वीकार करने के खिलाफ परिसमापन में कंपनी द्वारा की गई प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दर्ज की गई हैं।

11.5 कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए 19.01.2021 का आदेश

इस उदाहरण पर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील का विषय बन गया।

22 ( 1983 ) 1 एस. सी. सी. 228 देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

परिसमापन में कंपनी का। इसलिए, 8.02.2021 पर जब कंपनी की याचिका सुनवाई के लिए आई, तो इसे 16.02.2021 तक स्थगित कर दिया गया और, इसके बाद, 2.03.2021 पर। 2.03.2021 पर, डी. ई. एम. पी. एल. जो एक शेयरधारक है, ने अभियोग लगाने के लिए एक याचिका दायर की। यह सच है कि इस आवेदन को उस स्तर पर स्वतंत्र रूप से निपटाया और निपटाया नहीं गया था। हालाँकि, मुख्य कंपनी याचिका पर डी. ई. एम. पी. एल. की आपत्तियाँ वही थीं जो परिसमापन में कंपनी की आपत्तियाँ थीं। इस तथ्य के बावजूद कि एक अस्थायी परिसमापक को 19.02.2021 पर ही नियुक्त किया गया है, परिसमापन में कंपनी के पूर्व निदेशक को मुख्य कंपनी याचिका पर आपत्तियां दायर करने और उसी पर पूरी तरह से बहस करने की अनुमति दी गई थी।

11.6 मुख्य कंपनी याचिका पर एंट्रिक्स की ओर से दलीलों के समापन के बाद, डी. ई. एम. पी. एल. ने एक रिट याचिका भी दायर की। धारा 272 (1) (ई) की संवैधानिक वैधता और एंट्रिक्स को जारी किए गए प्राधिकरण को चुनौती देना। रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया गया और रिट अपील को वापस ले लिया गया।

11.7 उपरोक्त घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि (i)

एन. सी. एल. टी. द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले अभियोग याचिका का निपटारा नहीं करने के बावजूद; और (ii) एन. सी. एल. टी. द्वारा मुख्य कंपनी याचिका के साथ अभियोग याचिका को खारिज करने के बावजूद, मुख्य कंपनी याचिका पर उनकी आपत्तियों को पूर्व की आपत्तियों के साथ निपटाया गया है।

परिसमापन में कंपनी के निदेशक। दूसरे शब्दों में, आपत्ति करने वाले शेयरधारक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक प्रभावी सुनवाई की। हालाँकि उनकी अपील

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा रखरखाव के आधार पर खारिज कर दिया गया था, समापन का विरोध करने के लिए उनके तर्कों पर विचार किया गया है, जो कि कंपनी के समान ही थे। अतः आपत्ति यह है कि

शेयरधारकों को अवसर नहीं दिया गया था, केवल सैद्धांतिक है, जब वास्तव में उन्हें सुना गया था।

11.8 यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने लोकस स्टैंडी से संबंधित कानून को एक छलांग आगे बढ़ाया। लेकिन जैसा कि उक्त मामले के तथ्यों से देखा गया है, बंद करने की याचिका थी शेयरधारकों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया, दोनों इस आधार पर कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ थी और इस आधार पर कि कंपनी को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है। कंपनी न्यायाधीश, जिनके समक्ष समापन याचिका आई थी, ने कंपनी को कोई भी धन उधार लेने और कंपनी की किसी भी संपत्ति पर कोई शुल्क या बोझ डालने से रोकने के लिए एकतरफा निषेधाज्ञा दी। नतीजतन, कर्मचारी सहकारी दुकानों ने श्रमिकों को कोई भी प्रावधान या आपूर्ति जारी करना बंद कर दिया। श्रमिकों को भी रोका गया [2022] 11 एस. सी. आर.

समापन की कार्यवाही में स्वयं एक पक्ष के रूप में। इसलिए, राष्ट्रीय कपड़ा श्रमिक संघ के मामले में दिया गया निर्णय होना चाहिए इसे उस संदर्भ में समझा गया जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था।

11.9 यह सच है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा रखरखाव के आधार पर डी. ई. एम. पी. एल. द्वारा दायर अपील को खारिज करना सही नहीं हो सकता है। अनुभाग

421 ( 1 ) कंपनी अधिनियम, 2013 "न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति" को अपील दायर करने में सक्षम बनाता है। यह कहना कि डी. ई. एम. पी. एल. को पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है, दूर की बात हो सकती है। लेकिन उस एकमात्र आधार पर, विवादित आदेश को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

11.10 हम अपील के आधार ज्ञापन से देख चुके हैं

डी. ई. एम. पी. एल. द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर किया गया और डी. ई. एम. पी. एल. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील का ज्ञापन कि बंद करने की याचिका पर उनकी आपत्तियां परिसमापन में कंपनी के पूर्व निदेशक की आपत्तियों के समान हैं। वास्तव में, हमारे सामने परिसमापन में कंपनी के पूर्व निदेशक का प्रतिनिधित्व श्री मुकुल रोहतगी ने किया था।

परिसमापन में केवल सीमित ओवरों के लिए क्रीज पर कब्जा कर लिया, डी. ई. एम. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने पूरा लिया उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी और उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली। इसलिए, हमारे लिए परिसमापन के आदेश को केवल इस आधार पर अलग करना संभव नहीं है कि शेयरधारक अभियोग के लिए आवेदन करते हैं और साथ ही

अपील गलत तरीके से खारिज कर दी गई थी।

11.11 हमले के इस आधार पर चर्चा छोड़ने से पहले, हमें श्री एन. वेंकटरमन द्वारा की गई एक प्रस्तुति पर भी ध्यान देना चाहिए,

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सीखा। उनके अनुसार, देवास के सभी शेयरधारकों को आपराधिक मामलों में सी. बी. आई. द्वारा आरोपी बनाया गया है। लेकिन सी. बी. आई. उन्हें समन भी नहीं भेज पाई है। इसलिए, जो व्यक्ति आपराधिक अभियोजन में समन को टाल रहे हैं/टाल रहे हैं, उन्हें यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उन्हें समाप्त करने की याचिका में सुना गया होगा। विदेश में अपनी नागरिकता/निवास का लाभ उठाते हुए, ये शेयरधारक प्रवर्तन के लिए कार्यवाही कर रहे हैं

( i) भारत में आई. सी. सी. मध्यस्थ न्यायाधिकरण पुरस्कार; और (ii) विदेशों में बी. आई. टी. पुरस्कार, भले ही सी. बी. आई. के लिए देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए उन पर समन जारी करना असंभव हो।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

पिछले पाँच वर्षों में। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे अवसर देने में विफलता का मुद्दा उठाएं।

12. खोज त्रुटिपूर्ण और परिपूर्ण और

लागू किए गए सबूत का मानक गलत 12.1 विवादित आदेशों पर हमले का अगला आधार यह है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जिन्हें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया था

पूरी तरह से विकृत और गलत और कि न्यायाधिकरणों ने एक लागू किया

समापन के लिए, कथनों पर देवास की प्रतिक्रिया, एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष। 12.3 संक्षेप में कहा गया है कि एंट्रिक्स द्वारा बंद करने के लिए अपनी याचिका में किए गए कथन थे, (i) देवास को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, 17.12.2004 पर, रु. 1,00,000/- की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था। 10 / - प्रत्येक; (ii) कि निगमन के कुछ हफ्तों के भीतर, 28.01.2005 दिनांकित एक समझौता किया गया था

समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय या आज तक भी "देवास सर्विसेज" के रूप में दावा किया गया था; (iv) कि प्रौद्योगिकी या उपकरण के कब्जे में नहीं होने के बावजूद, कंपनी एंट्रिक्स और भारत सरकार को उपग्रह लॉन्च करने के लिए प्रेरित कर रही थी; (v) साजिश के हिस्से के रूप में, 28.01.2005 दिनांकित समझौते को एंट्रिक्स द्वारा 25.02.2011 दिनांकित पत्र द्वारा बल आकस्मिक खंड का आह्वान करके समाप्त कर दिया गया था; (vi) कि इसने देवास के शेयरधारकों द्वारा दो बी. आई. टी. मध्यस्थताओं की शुरुआत के अलावा, आई. सी. सी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता शुरू करने के लिए देवास के लिए चीजों को आसान बना दिया, (vii) कि जब आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्ट प्रथाएं सामने आईं, तो सी. बी. आई. [2022] 11 एस. सी. आर. द्वारा एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

16.03.2015 पर; (viii) कि सीबीआई द्वारा 11.08.2016 पर एक आरोप पत्र दायर किया गया था, दोनों गठन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ

परिसमापन में कंपनी के मामलों के साथ-साथ के अधिकारी एंट्रिक्स और भारत सरकार; (ix) कि एक पूरक आरोप-पत्र

(x) पर दायर किया गया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 24.12.2018 पर एक शिकायत भी दर्ज की गई थी; (xi) कि कंपनी जो एक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बनाई गई थी।

1,00,000 / - दिसंबर, 2004 में, प्रति उपग्रह लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अलावा, अमेरिकी क्षेत्र में "अप-फ्रंट क्षमता आरक्षण शुल्क", प्रति उपग्रह 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक कथित विचार के लिए एक अनुबंध हासिल करने में कामयाब रहा; (xii) कि इस तरह के अनुबंध का निष्पादन और इतने बड़े पैमाने की सार्वजनिक उदारता का पुरस्कार इसके माध्यम से नहीं था।

कोई भी सार्वजनिक नीलामी लेकिन अधिकारियों द्वारा आयोजित निजी वार्ताओं द्वारा

संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ज एडवाइजर्स के साथ एंट्रिक्स, (xiii) कि अनुबंध हासिल करने के बाद, कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ओसीपी शेयरों को विदेशी निवेशकों को भारी प्रीमियम पर बेचने में सक्षम थी; (xiv) उस इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य रु। 10 / - रुपये की दर से बेचा जाता था। 1.26 लाख प्रति शेयर; (xv) वह दिलचस्प रूप से, डीटी जर्मनी जिसने रु। 430 के माध्यम से करोड़

डी. टी. एशिया ने केवल 19 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जबकि चार मॉरीशस निवेशकों ने 37 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। 150 (xvii) कि देवास द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त में हेरफेर करके प्रायोगिक लाइसेंस प्राप्त किए गए थे; (xvii) कि एफ. आई. पी. बी. अनुमोदन इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के कथित उद्देश्य के लिए सुरक्षित किए गए थे, हालांकि समझौता उपग्रह आधारित डिजिटल के रूप में जानी जाने वाली एक संकर सेवा प्रदान करने के लिए था। मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (एस. डी. एम. बी. सर्विसेज, संक्षेप में); (xviii) कि इस तथ्य को कि उस समय ऐसी हाइब्रिड तकनीक मौजूद नहीं थी, एफ. आई. पी. बी. के साथ-साथ अन्य प्राधिकरणों से दबा दिया गया था; (xix) कि भारत में प्रवाह को प्रदर्शित करने के बाद, रु। 579 कंपनी ने करोड़ों रुपये की राशि भारत से बाहर निकाल ली। 75 संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए रु। 180 व्यावसायिक सहायता सेवाओं के लिए भुगतान के लिए करोड़ रुपये और रु। 233 मुकदमेबाजी सेवाओं के लिए करोड़; (x) वह रु। 92 केवल भारत में ही करोड़ रुपये रखे गए थे। 21 करोड़ रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में थी। 59 अग्रिम क्षमता शुल्क के लिए एंट्रिक्स को करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था; (xii) कि एंट्रिक्स और भारत सरकार के तत्कालीन अधिकारियों में से कुछ उस धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के पक्षकार थे जिसके लिए देवास बनाया गया था और कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी के तरीके से संचालित किया गया था; (xiii) कि निवेशकों और गठन में संबंधित शेयरधारकों सहित व्यक्तियों और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इसके मामलों का प्रबंधन धोखाधड़ी, भ्रष्ट प्रथाओं और धन शोधन का दोषी रहा है और इसलिए कंपनी को समाप्त किया जा सकता है।

( (i) कि देवास का निगमन धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था, जिससे संबंधित प्रतिष्ठित अनुबंध को हड़प लिया जा सके। तब एंट्रिक्स के अधिकारी; (ii) यह विवाद में नहीं है कि अनुबंध में प्रवेश करने के समय, देवास के पास प्रौद्योगिकी नहीं थी,

अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अवसंरचना या अनुभव समझौता; (iii) कि ज्ञापन के अभिदाताओं में से एक

परिसमापन में कंपनी का संघ श्री एम. उमेश नाम के एक लेखा परीक्षक थे, जिनके लेख लिपिक गुरुराज ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; (iv) एंट्रिक्स की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एंट्रिक्स के कार्यकारी निदेशक आपराधिक मामलों में अभियुक्तों में से एक हैं; (v) कि देवास का समावेश धोखाधड़ी के उद्देश्य और गैरकानूनी उद्देश्य से था, ताकि भारत में धन लाया जा सके और इसे संदिग्ध तरीकों से डायवर्ट किया जा सके; (vi) कि समझौते की समाप्ति के बाद भी, देवास कोई व्यावसायिक संचालन नहीं कर रहे थे; (vii) कि देवास का उद्देश्य प्राथमिक उपग्रह I (पीएस-I) और प्राथमिक उपग्रह-II (पीएस-II) को हड़पने के अलावा शायद ही कोई व्यवसाय करना था, और इसलिए

12.5 अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश दो भागों में है-पहला सदस्य (न्यायिक) द्वारा लिखित और दूसरा सदस्य द्वारा लिखित।

परिसमापन या तो प्रौद्योगिकी के अस्तित्व या कथित प्रौद्योगिकी पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व को स्थापित करने में विफल रहा; (ii) श्री एम. जी. चंद्रशेखर के हलफनामे के अनुसार भी, देवास के पास देवास प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय था, जिसका अर्थ है कि उस समय इसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया था; (iii) कि कंपनी के पास देवास सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक भी अनुमोदन, अनुमति या लाइसेंस नहीं था। देवास प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; (iv) कि देवास के लिए उपग्रह बनाने के लिए अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद ही प्राप्त की गई थी, लेकिन अंतरिक्ष आयोग को इसके बारे में सूचित किए बिना; (v) अंतरिक्ष विभाग द्वारा 17.11.2005 पर तैयार किए गए कैबिनेट नोट में भी पूरी तस्वीर दर्ज नहीं की गई थी; (vi) कि सैटकॉम नीति का उल्लंघन किया गया था; (vii) हालांकि बैठक के मूल कार्यवृत्त में देवास को स्पेक्ट्रम लाइसेंस [2022] 11 एस. सी. आर. प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वायरलेस योजना समिति (डब्ल्यू. पी. सी.) से, आवश्यक तकनीकी विवरणों के साथ शीर्ष समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद, कार्यवृत्त

बाद में बैठकों में हेरफेर किया गया जैसे कि कंपनी को छूट दी गई थी

आवश्यकता से; (viii) कि जोड़-तोड़ के बारे में आपत्तियों के बाद, बैठक के मूल कार्यवृत्त को 20.11.2009 पर बहाल किया गया, लेकिन यह केवल प्रायोगिक लाइसेंस के अनुदान के बाद हुआ 07.05.2009 ; ( ix) कि किसी भी मामले में प्रायोगिक लाइसेंस भारत टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत भारत में वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन स्थापित करने के लिए था, जिसके बिना प्रयोगात्मक परीक्षण नहीं किए जा सकते थे; (x) कि देवास ने आई. एस. पी. लाइसेंस के हिस्से के रूप में आई. पी. टी. वी. लाइसेंस प्राप्त किया था, जो -

देवास सेवाओं के रूप में जो पेशकश की गई थी, उसका उससे कोई लेना-देना नहीं है; (xi) कि 28.01.2005 दिनांकित समझौते में IPTV का कोई संदर्भ नहीं था; (xii) कि

निर्विवाद रूप से, देवास सेवाओं को आई. एस. पी. लाइसेंस के साथ प्रदान नहीं किया जा सकता है; (xiii) कि भारत में 579 करोड़ रुपये की राशि लाने के बाद, एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर ले जाया गया था; (xiv) कि देवास द्वारा की गई एकमात्र व्यावसायिक गतिविधि बैंगलोर के एक विशेष इलाके में कुछ निवासियों के लिए आई. एस. पी. सेवाएं प्रदान करना था और वह भी एक छोटी अवधि के लिए, जिससे देवास बन गया। रुपये का राजस्व अर्जित करें। 80,000 / ; ( xv) कि रुपये का डायवर्जन। 489 करोड़ और रु। 58 गैर आई. एस. पी. उद्देश्यों के लिए करोड़ रुपये आई. एस. पी. लाइसेंस का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से धारा 271 (सी) के दायरे में आता है; (xvi) कि देवास ने अंतरिक्ष विभाग द्वारा जांच से बचने के लिए आई. एस. पी. मार्ग के माध्यम से धोखाधड़ी से एफ. आई. पी. बी. से संपर्क किया; (xvii) कि देवास के निवेशक वास्तव में शेयरधारक बन गए और उनके नामित भी बोर्ड ऑफ देवास में थे; (xviii) कि इसलिए ये व्यक्ति भी देवताओं के मामलों के संचालन के लिए दोषी थे जिस तरह से कहा गया था; (xix) कि शेयर

निवेशकों के साथ किए गए 06.03.2006 के सदस्यता समझौते में एक पाठ शामिल है जैसे कि उचित लाइसेंस वैध रूप से जारी किए गए हैं या कंपनी को सौंपे गए हैं, हालांकि वास्तव में एकमात्र लाइसेंस अर्थात् ISP लाइसेंस बहुत बाद में 02.05.2008 और (XX) पर प्राप्त किया गया था कि इसलिए कंपनी का गठन और कंपनी के मामलों का संचालन धोखाधड़ी था और इससे संबंधित व्यक्ति भी धोखाधड़ी के दोषी थे।

12.6 अपनी स्वतंत्र लेकिन समवर्ती राय में एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य (तकनीकी) ने धोखाधड़ी की वस्तुओं को आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले उन्होंने पाया कि कंपनी का गठन किया गया था और समझौता सेवाओं का एक गुलदस्ता प्रदान करने के घोषित उद्देश्य के साथ किया गया था, जो अस्तित्व में नहीं थे। सदस्य (तकनीकी) द्वारा की गई धोखाधड़ी की दूसरी श्रेणी में गलत निरूपण से संबंधित है

समझौता। धोखाधड़ी की तीसरी श्रेणी देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के उल्लंघन से संबंधित है।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सैटकॉम नीति। चौथी श्रेणी वास्तव में तीसरी श्रेणी का विस्तार थी जो एसएटीसीओएम नीति से संबंधित थी। पाँचवीं श्रेणी मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने में दमन और गलत निरूपण के बारे में थी। धोखाधड़ी की छठी श्रेणी आई. एस. पी. लाइसेंस दिनांक 1 के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसका आई. पी. टी. वी. लाइसेंस एक हिस्सा था, लेकिन जिसका देवास सर्विसेज से कोई लेना-देना नहीं था। सातवीं श्रेणी धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें प्रयोगात्मक लाइसेंस प्राप्त किया गया था और आठवीं श्रेणी एफ. आई. पी. बी. अनुमोदन और धन के लेन-देन से संबंधित है। सदस्य (तकनीकी) ने कंपनी के गठन, कंपनी के मामलों के संचालन और इसके मामलों के गठन और प्रबंधन के संचालन में संबंधित व्यक्तियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया।

12.7 तकनीकी रूप से, हमारे समक्ष अपील जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत है, केवल कानून के प्रश्न पर है। जब एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. नामक दो मंचों ने तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं, तो इस न्यायालय के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना करने का अधिकार नहीं है। इस बाधा को महसूस करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मामले को निष्कर्षों की विकृति के रूप में पेश करने की मांग की। लेकिन हम दोनों न्यायाधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाते हैं। ये निष्कर्ष वास्तव में दस्तावेजों द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें से किसी को भी मनगढ़ंत या अस्वीकार्य के रूप में चुनौती नहीं दी जाती है। यद्यपि यह हमारे लिए इस पर रुकने के लिए पर्याप्त है, आइए हम यह पता लगाने के लिए थोड़ा गहराई से जाएं कि क्या न्यायाधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति थी और क्या ऐसे निष्कर्ष किसी भी उचित मानकों द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते थे।

12.8 न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए दस्तावेजों से निम्नलिखित निर्विवाद तथ्य सामने आते हैं। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता थी

कभी भी सवाल या इनकार नहीं किया गयाः

पाँच को पट्टे पर देने के लिए एक विशाल परिमाण का समझौता

( (i)

8. 1 मेगाहट्र्ज क्षमता वाले सी. एक्स. एस. ट्रांसपोंडरों की संख्या और 2.7 मेगाहट्र्ज क्षमता वाले एस. एक्स. सी. ट्रांसपोंडरों की संख्या

प्राथमिक उपग्रह-I (पीएस-I) पर क्षमता, आश्चर्यजनक रूप से और आश्चर्यजनक रूप से एंट्रिक्स द्वारा देवास के साथ प्रवेश किया गया था, बिना किसी नीलामी/निविदा प्रक्रिया के। यह देवास द्वारा भेजे गए दिनांकित 27.09.2004 पत्र से प्रतीत होता है।

एल. एल. सी., यू. एस. ए. ने एंट्रिक्स के कार्यकारी निदेशक श्री के. आर. श्रीधर मूर्ति को डॉ. जी. माधवन नायर, अध्यक्ष, आई. एस. आर. ओ. और अन्य लोगों की प्रतियों के साथ कहा कि श्री रामचंद्रन विश्वनाथन ने अप्रैल-2003 में बैंगलोर में आई. एस. आर. ओ. के तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और वे एक बार फिर [2022] 11 एस. सी. आर. में मिले।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वाशिंगटन डी. सी., इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष की यात्रा के दौरान। ये बैठकें, जिनसे पहले जनता को किसी भी रुचि की अभिव्यक्ति के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, दिनांकित एक समझौता ज्ञापन में समाप्त हुईं। 28.07.2003 . हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि इस पर विदेशों में हस्ताक्षर किए गए थे।

यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सदस्यीय समिति जिसमें

डॉ. बी. एन. सुरेश, अंतरिक्ष के पूर्व सदस्य

भारतीय अंतरिक्ष संस्थान के आयोग और निदेशक

उनके द्वारा मई-2010 में प्रस्तुत किया गया, यह फोर्ज एडवाइजर्स, यू. एस. ए. था जिसने मार्च-2003 में एंट्रिक्स/आई. एस. आर. ओ. को डिजिटल मल्टीमीडिया सेवाओं के प्रौद्योगिकी पहलुओं पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद मई-2003 में एंट्रिक्स/आई. एस. आर. ओ. के शीर्ष प्रबंधन को एक प्रस्तुति दी गई। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए इसके बाद;

लेकिन अपीलार्थियों द्वारा स्वयं दायर किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि फोर्ज एल. एल. सी. द्वारा 22.03.2004 पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें एक भारतीय संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव दिया गया था जिसे देवास के रूप में जाना जाने लगा (जिसे शायद

अंततः यह ASURAS2 3 निकला। उक्त प्रस्ताव में दावा किया गया था कि देवास प्लेटफॉर्म उपग्रह के माध्यम से मल्टीमीडिया और सूचना सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा

उपभोक्ता खंड, वाणिज्यिक खंड और सामाजिक खंड जैसे विभिन्न बाजार खंडों की जरूरतों के अनुरूप मोबाइल उपकरणों के लिए। आई. डी. 1 दिनांकित इस प्रस्तुति के बाद आई. डी. 2 दिनांकित एक प्रस्ताव आया, जिसका हमने उपरोक्त अनुच्छेद 3.4 में संक्षिप्त उल्लेख किया है। इस प्रस्ताव ने इसरो/एंट्रिक्स को फोर्ज और एंट्रिक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम को पट्टे पर दिए जाने वाले एक जमीनी अंतरिक्ष खंड के साथ एक परिचालन एस-बैंड उपग्रह में निवेश करने के लिए बाध्य किया। संयुक्त उद्यम के लिए जो जगह आरक्षित की जानी थी, वह 97 प्रतिशत थी।

इस तरह के पट्टे पर आई. एस. आर. ओ./एंट्रिक्स द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिफल 15 करोड़ की अवधि के लिए सालाना 1 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर होना था।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, देव देवता हैं और असुर राक्षस वास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।

वी. एंट्रिक्सए. टी. आई. एन. लि. & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

वर्षों से। कम से कम इस स्तर पर एक परिचालन एस-बैंड उपग्रह में निवेश करने और ऐसे उपग्रह के लगभग पूरे स्थान को एक संयुक्त उद्यम को पट्टे पर देने का प्रस्ताव आना चाहिए था।

यह देखने के लिए कि (ए) क्या प्रौद्योगिकी मौजूद है; और (बी) क्या प्रस्ताव व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य था। लेकिन ऐसा था।

नहीं किया गया;

14.05.2004 पर, एक डॉ. के. एन. की अध्यक्षता में एक समिति।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक डॉ. शंकर थे।

अंतरिक्ष खंड, वित्तीय और बाजार पहलुओं और समय के वैकल्पिक उपयोग की संभावनाओं सहित तकनीकी व्यवहार्यता, जोखिम प्रबंधन की जांच करने के लिए कथित रूप से गठित

अनुसूची। इस रिपोर्ट के अनुसार समिति, देवास की कल्पना एक नए राष्ट्रीय के रूप में की गई थी

2006 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है जो वाहनों में मोबाइल रिसीवरों को उच्च शक्ति वाले उपग्रह के माध्यम से वीडियो, मल्टीमीडिया और सूचना सेवाएं प्रदान करेगी।

उपग्रह के माध्यम से सेवाओं के इस गुलदस्ते को प्रदान करने का समय। आज भी सैटेलाइट फोन किसी की पहुंच से बाहर हैं। आम आदमी। मोबाइल रिसीवर या उपकरण जो बस ऑडियो और वीडियो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, वे मोबाइल फोन से अलग हैं, जो दो तरह की सामग्री प्रदान करने में सक्षम हैं।

संचार। मोबाइल फोन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की तकनीक उस समय मौजूद नहीं थी, यही कारण है कि फोर्ज एडवाइजर्स द्वारा किए गए प्रस्ताव में यह उम्मीद शामिल थी कि ऐसी सेवा 2006 के अंत तक शुरू की जा सकती है। इसी अपेक्षा/वादे के साथ 28.01.2005 पर एक समझौता किया गया था, लेकिन इस तथाकथित नई राष्ट्रीय सेवा को कभी भी शुरू नहीं किया गया जैसा कि पहले किया गया था। 2006. सेवाओं का प्रक्षेपण कम से कम उस समय एंट्रिक्स द्वारा एस-बैंड उपग्रह के प्रावधान से जुड़ा नहीं था।

जब बातचीत हुई;

मान लीजिए, मई-2006 से सितंबर-2009 की अवधि के दौरान देवास द्वारा ली गई एफ. आई. पी. बी. (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की मंजूरी, [2022] 11 एस. सी. आर. विभाग से प्राप्त आई. एस. पी. (इंटरनेट सेवा प्रदाता) लाइसेंस के आधार पर थी।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

02.05.2008 और 31.03.2009 पर प्राप्त आईपीटीवी (इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन) सेवा लाइसेंस पर दूरसंचार;

इसलिए, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष, (क) भारत में सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हुए, देवास के पक्ष में एक सार्वजनिक उदारता दी गई थी; (ख) कि देवास ने एंट्रिक्स/इसरो को एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए लुभाया, जिसके बाद एक समझौता हुआ -

कुछ ऐसा प्रदान करने का वादा करना जो उस समय अस्तित्व में नहीं था और जो बाद में भी अस्तित्व में नहीं आया था; (सी) कि लाइसेंस और अनुमोदन पूरी तरह से अलग सेवाओं के लिए थे; और (डी) कि दी जाने वाली सेवाएं सैटकॉम नीति आदि के दायरे में नहीं थीं। वास्तव में अभिलेखों द्वारा पुष्टि की जाती है;

इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि देवताओं ने (ए) देवास सेवाओं के रूप में जानी जाने वाली सेवाओं का एक गुलदस्ता (बी) प्रसारण के एक संकर मोड में देवास उपकरण के माध्यम से पेश किया, जो उपग्रह और स्थलीय का एक संयोजन है।

प्रसारण, और जिसे (ग) देवास प्रौद्योगिकी कहा जाता है, लेकिन जिनमें से कोई भी प्रासंगिक समय पर या उसके बाद भी मौजूद नहीं था;

इस संबंध में देवास के पास आवश्यक बौद्धिक संपदा अधिकार भी नहीं थे, हालांकि उन्होंने आवेदन करने का दावा किया था।

कि कंपनी का गठन, अर्थात्, देवास

गैरकानूनी उद्देश्य इस तथ्य से सामने आता है कि कंपनी को दिसंबर-2004 में निगमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च-2003 में बैंगलोर में आयोजित प्रारंभिक बैठकें और

मई-2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसके बाद 28.07.2003 पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, 22.03.2004 पर प्रस्तुति दी गई और उसके बाद चर्चा की गई। कंपनी के औपचारिक रूप से निगमित होने से पहले मार्च-2003 से दिसंबर-2004 की अवधि के दौरान जमीनी कार्य स्पष्ट रूप से किया गया था। निगमन के तुरंत बाद, 28.01.2005 दिनांकित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 (सी) के पहले घटक, अर्थात् धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी के गठन को स्पष्ट रूप से बनाया गया था;

जिस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त किए गए जैसे कि आई. एस. पी. और आई. पी. टी. वी. लाइसेंस और जिस उद्देश्य के लिए एफ. आई. पी. बी. की मंजूरी ली गई थी, लेकिन वी. ए. एस. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

वी. एंट्रिक्स एसोसिएशन लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

दिनांकित 28.01.2005 समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त के रूप में प्रदर्शित किया गया कि कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी के तरीके से संचालित किया गया था। यह इस तथ्य से मजबूत होता है कि कुल 1 करोड़ रुपये की राशि लाई गई थी, लेकिन उक्त राशि का लगभग 85 प्रतिशत भारत से बाहर ले जाया गया था, आंशिक रूप से भारत की ओर।

अमेरिका में एक सहायक कंपनी की स्थापना, आंशिक रूप से व्यावसायिक सहायता सेवाओं के लिए और आंशिक रूप से मुकदमेबाजी के खर्च के लिए। हम नहीं जानते कि Rs.233 करोड़ की राशि कितनी है।

मुकदमेबाजी सेवाओं की ओर भारत से बाहर ले जाया गया, यह भी एक अधिक उत्पादक उद्यम में निवेश का एक हिस्सा बन गया,

अर्थात्, मध्यस्थता। जिस तरह से मंत्रिमंडल को एक भ्रामक नोट दिया गया था और जिस तरह से टीएजी उप-समिति की बैठक के कार्यवृत्त में हेरफेर किया गया था, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाश डाला गया था, यह भी दर्शाता है कि कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी से संचालित किया गया था। इस प्रकार, धारा 271 (सी) का दूसरा अंग, अर्थात् धोखाधड़ी से कंपनी के मामलों का संचालन भी स्थापित हो गया।

एस. ए. टी. सी. ओ. एम. नीति ने दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को एक दूसरे से स्वतंत्र और पारस्परिक रूप से अनन्य माना। इसलिए, कानून द्वारा दोनों के संयोजन की अनुमति नहीं थी। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। इसके अलावा, जब तक आई. सी. सी. जगह आवंटित नहीं करता

खंड, एक निजी खिलाड़ी के लिए, वही गैरकानूनी हो जाता है। यही कारण है कि कंपनी के मामलों का संचालन

अवैध हो गया;

यह कि अंतरिक्ष विभाग और एंट्रिक्स के अधिकारी मिलीभगत में थे और यह कि यह तीसरे पक्ष के साथ हाथ मिलाकर फसल खाने (और दूसरों को फसल खाने की अनुमति देने) का मामला था, इस तथ्य से पता चलता है कि 104 वें अंतरिक्ष आयोग के नोट में समझौते का कोई संदर्भ नहीं था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के दस महीने बाद तैयार किए गए आई. डी. 1 दिनांकित कैबिनेट नोट में देवास या समझौते का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि आई. एस. आर. ओ. को कई अभिरुचि पत्र मिले हों।

देवास को अनुमति देने के लिए अधिकारियों की मिलीभगत दिखाएँ अन्यायपूर्ण संवर्धन;

( xiii) यह रिकॉर्ड में है कि उप समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 06.01.2009 में हेरफेर किया गया था और प्रयोगात्मक लाइसेंस 07.05.2009 पर दिया गया था। इसके बाद ही, मूल कार्यवृत्त को 20.11.2009 पर बहाल किया गया और वह भी विरोध के बाद। ( xiv) बेशक, प्रत्येक निवेशक परिसमापन में कंपनी के शेयर खरीदता था और प्रत्येक शेयरधारक का निदेशक मंडल में एक प्रतिनिधि होता था। चूंकि बोर्ड कंपनी को नियंत्रित करता था, इसलिए निदेशक धोखाधड़ी में कंपनी के मामलों के संचालन के लिए दोषी थे।

तरीके से। चूँकि बोर्ड में प्रत्येक शेयरधारक का एक प्रतिनिधि होता था, इसलिए शेयरधारकों को निदेशकों के कुकर्मों के लिए दोष लेना पड़ता था।

( xv) इसके अतिरिक्त, शेयरधारक इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थे कि एफ. आई. पी. बी. को अनुमोदन के लिए दिनांकित आवेदन आई. एस. पी. सेवाओं के लिए था। लेकिन उन्होंने देवास सेवाओं के लिए 06.03.2006 पर एक शेयर सदस्यता समझौता किया।

शेयर सदस्यता समझौते से पता चलता है कि वे दिनांकित 28.01.2005 समझौते में निहित झूठे बयानों से अवगत थे। इसलिए, शेयरधारक, जो अब धोखाधड़ी से लगाए गए और गैरकानूनी रूप से पोषित एक पेड़ का फल काटना चाहते हैं, वे अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकते हैं और नुकसान से बच नहीं सकते हैं।

धोखाधड़ी के आरोप।

प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर उन्हें समाप्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। किसी कंपनी को बंद करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक नहीं हो सकता है

प्रथम दृष्टया।

12.10 लेकिन हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुचित अभिव्यक्ति के उपयोग का लाभ उठा सकते हैं। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत निष्कर्ष बताते हैं कि वे अंतिम हैं और प्रथम दृष्टया नहीं।

केवल इसलिए कि एन. सी. एल. ए. टी. ने उन निष्कर्षों में एक गलत अभिव्यक्ति का उपयोग किया प्रथम दृष्टया नहीं हो सकता है।

13. विविध मैदान

13.1 हमले के उपरोक्त मुख्य आधारों के अलावा, जिन पर हमने विस्तार से विचार किया है, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील भी देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।

वी. एंट्रिक्स

निगम लिमिटेड। & एएनआर। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

कुछ पूरक प्रस्तुतियाँ कीं। उनमें से एक यह था कि दो निजी पक्षों के बीच का समझौता धारा 271 (सी) के तहत याचिका का विषय नहीं बन सकता है। लेकिन इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि देवास और उसके शेयरधारकों के दावे भी भारत सरकार की संपत्ति पर हैं। भारत सरकार द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह में प्रस्तावित अंतरिक्ष खंड भारत सरकार की संपत्ति है। वास्तव में, शेयरधारकों ने

बीआईटी के तहत भारत गणराज्य के खिलाफ दो पुरस्कार प्राप्त किए। इसलिए, यह न तो दो निजी पक्षों के बीच का संबंध है और न ही किसी निजी पक्ष और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच का। यह एक विशाल परिमाण की धोखाधड़ी का मामला है जिसे एक निजी सूची के रूप में कालीन के नीचे ब्रश नहीं किया जा सकता है।

13.2 अपीलार्थियों की ओर से उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि धारा 271 (सी) के तहत याचिका से पहले कम से कम गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी, जो अब

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया। लेकिन यह तर्क इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य है कि 2013 के अधिनियम के तहत किसी कंपनी को बंद करने के लिए दो अलग-अलग मार्ग हैं। धोखाधड़ी के आरोप। एक धारा 271 (सी) के तहत है और दूसरी धारा 271 (ई) में न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत है, जिसे धारा 224 (2) और धारा 233 (बी) के साथ पढ़ा जाता है। 1956 के अधिनियम की धारा 243 और धारा 237 (बी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 439 (1) (एफ) ने अब एक नया अवतार ले लिया है।

धारा 223 (बी) के साथ पठित धारा 224 (2) के तहत। यह केवल दूसरी श्रेणी के मामलों में है कि जांच की रिपोर्ट एक से पहले होनी चाहिए

बंद करने के लिए याचिका। 13.3 अपीलार्थियों की ओर से एक और तर्क यह है कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दायर आपराधिक शिकायत को अभी तक अपने तार्किक अंत तक नहीं ले जाया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यदि एंट्रिक्स के अधिकारियों और देवास के शेयरधारकों को मुकदमे के बाद बरी कर दिया जाता है, तो घड़ी को वापस नहीं रखा जा सकता है, अगर कंपनी अब बंद हो गई है। हालांकि यह पहली नज़र में आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस विवाद की अगर थोड़ी गहराई से जांच की जाए तो यह अटक नहीं सकता है। आपराधिक मामले में आवश्यक सबूत का मानक एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही में आवश्यक सबूत के मानक से अलग होता है। एक का परिणाम दूसरे के परिणाम पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दीवानी हैं और आपराधिक कार्यवाही में दंडात्मक हैं। इसके अलावा, इस तर्क को खंजर के हैंडल की तरह उलट दिया जा सकता है। क्या होगा यदि कंपनी को अस्तित्व में रहने की अनुमति दी जाती है और दसियों हज़ार करोड़ भारतीय रुपये की कुल राशि के लिए मध्यस्थता पुरस्कार भी लागू किया जाता है (आईसीसी पुरस्कार आईएनआर [2022] 11 एस. सी. आर. के लिए कहा जाता है।

10,000 करोड़ और 2 बी. आई. टी. पुरस्कार 5,000 करोड़ रुपये के लिए बताए गए हैं) और अंततः आपराधिक न्यायालय ने सभी शेयरधारकों को धोखाधड़ी का दोषी पाया? इस सवाल का जवाब घृणित होगा।

13.4 अंत में, यह तर्क दिया गया कि एंट्रिक्स द्वारा देवास को समाप्त करने की मांग के पीछे का वास्तविक उद्देश्य देवास को भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आई. सी. सी. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक सर्वसम्मत पुरस्कार और दो बी. आई. टी. पुरस्कारों के लाभों से वंचित करना है और यह कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक निगमित संस्था की ओर से इस तरह के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को गलत संदेश भेजेंगे।

13.5 हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। यदि वास्तव में, एंट्रिक्स द्वारा अनुमानित धोखाधड़ी, स्थापित हो जाती है, तो धोखाधड़ी के पीड़ित के पीछे का उद्देश्य, समाप्त करने के लिए एक याचिका के साथ आना, है

भारत सहित। नैतिकता और न्याय की बुनियादी धारणाएं हमेशा धोखाधड़ी के साथ संघर्ष में रहती हैं और इसलिए धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई के पीछे का उद्देश्य कभी भी बाधा नहीं बन सकता है। 13.6 हम नहीं जानते कि देवास को समाप्त करने की मांग में एंट्रिक्स की कार्रवाई निवेशकों के समुदाय को गलत संदेश भेज सकती है या नहीं।

लेकिन देवास और उसके शेयरधारकों को उनका लाभ उठाने की अनुमति देना। धोखाधड़ी की कार्रवाई, फिर भी एक और गलत संदेश भेज सकती है अर्थात्

धोखाधड़ी के माध्यमों को अपनाकर और भारत में 579 करोड़ रुपये का निवेश लाकर, निवेशक 488 करोड़ रुपये की हेराफेरी के बाद भी हजारों करोड़ रुपये प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।

14. निष्कर्ष

इसलिए, हम एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती आदेशों पर हमले के सभी आधारों को अस्थिर पाते हैं। इसलिए याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, बिना किसी आदेश के

लागतें।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस

( सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)